



न्यायालय :- उपजिलाधिकारी

मण्डल :मुरादाबाद , जनपद :रामपुर , तहसील :सदर

कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202513590110202

वाद संख्या:- 10202/2025

रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर प्राधिकृत अधिकारी बनाम ग्राम सभा द्वारा अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 101

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 06/09/2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपरोक्त वाद में वादी के कथन है कि खाता सं० 165 गाटा संख्या 354 रकवा 0.0580 हे० तथा खाता सं० 127 गाटा सं० 349 रकबा 0.4130 हे० स्थित मौजा पहाडी जो वादी की मिलकियत है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। खाता सं० 216 भूमि गाटा संख्या 274/0.1580 हे०, तथा खाता सं० 211 गाटा सं० 280/0.0230 हे०, 290/0.0540 हे०, 311/0.0480 हे०, 334/0.0380 हे०, 341/0.0240 हे० तथा खाता सं० 214 गाटा सं० 323 रकबा 0.1260 हे० स्थित मौजा पहाडी प्रतिवादी सम्पत्ति है और मौके पर काबिज दखील है और दर्ज सरकारी कागजात है। वादी की प्रस्तावित आवासीय योजना हेतु क्रय की गयी भूमि के बीच में प्रतिवादी की उक्त खाता सं० 216 भूमि गाटा संख्या 274/0.1580 हे०, तथा खाता सं० 211 गाटा सं० 280/0.0230 हे०, 290/0.0540 हे०, 311/0.0480 हे०, 334/0.0380 हे०, 341/0.0240 हे० तथा खाता सं० 214 गाटा सं० 323 रकबा 0.1260 हे० स्थित मौजा पहाडी भूमि आती है जिससे आवासीय योजना के विकास में बाधा आ रही है। वादी सहमत है कि प्रस्तावित योजना के मध्य पड रही प्रतिवादी की उक्त भूमि के बदले में खाता सं० 165 गाटा संख्या 354 रकवा 0.0580 हे० तथा खाता सं० 127 गाटा सं० 349 रकबा 0.4130 हे० स्थित मौजा पहाडी को विनिमय में दे दी जाये इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि का विहित रूप से अवधारित मुल्यांकनों के मध्य 10 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। प्रश्नगत ग्राम सभा भूमि उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के अन्तर्गत लोक उपयोगिता वाली रास्ता/चकमार्ग/नाली/गूल/नरूआ भूमि है। उक्त ग्राम सभा भूमि प्राधिकरण की विकास योजना के मध्य पडने के कारण अब इसकी लोक उपयोगिता नहीं रह जायेगी। उक्त के अलावा वादी/रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजना में सडकें/रास्ते/नाली/सीवर आदि का समुचित प्राविधान किया गया है, जिससे उक्त लोकप्रयोजन की पूर्ति भी हो जायेगी। उक्त श्रेणी की भूमियों के विनिमय हेतु समुचित प्राविधान एवं सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण उ०प्र० शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 एवं शासनादेश संख्या-11/2020/889/एक-1-2020-20(5) 2016 दिनांक 06.07.2020 में किये गये हैं, जिसमें श्रेणी परिवर्तन करके विनिमय की व्यवस्था की गयी है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भी उक्त विनिमय में अपनी सहमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी प्रति भी संलग्न है। विनिमय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि में पक्षकारान के अलावा किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। विनिमय होने वाली भूमि की उद्धरण खतौनिया संलग्न है। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क 50 रूपये के कोर्ट फीस सहित शपथपत्र संलग्न है। अन्त में प्रार्थना की गयी है कि जिलाधिकारी महोदय से श्रेणी परिवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त करके उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उपरोक्त प्रस्तर-03 में वर्णित भूमि का विनिमय करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त वाद मे उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली के नियम 102 के खण्ड(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यो न विनिमय की अनुमति प्रदान कर दी जाए। नोटिस जारी किए गए जो बाद तामीला उपरान्त पत्रावली संलग्न हुआ।



“शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के प्रस्तर 2 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि “राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुर्नग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में, जहाँ राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रू० 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इसप्रकार राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्तों द्वारा की जायेगी।”

उक्त शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3641/डी०एल०आर०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत अनुज्ञा न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्राप्त हयी कि-

“उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण, जनपद रामपुर की ग्राम पहाड़ी में प्रस्तावित आवासीय योजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम सभा पहाड़ी, तहसील सदर, जिला रामपुर की भूमि खसरा संख्या-274, 280, 290, 311, 323, 334, 341 कुल 07 किता रकवा 0.4710 हे० जो चकमार्ग/गूल/नरूआ के रूप में दर्ज है का श्रेणी परिवर्तन करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की उसी ग्राम में स्थित भूमि गाटा संख्या- 349 मि०/0.4130हे०, 354 मि०/0.0580 हे० कुल रकवा 0.4710 हे० मे से 349मि० रकबा 0.1580हे० चकमार्ग, 349मि० रकबा 0.1260 हे० नरूआ एवं 349मि० रकबा 0.1290हे०, 354मि० रकबा 0.0580हे० गूल भूमि, जिसका कुल मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से 37,68,000/- है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व उपजिलाधिकारी रामपुर/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1. उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राधिकरण की ग्राम पहाड़ी में प्रस्तावित योजना अन्तर्गत आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। प्राधिकरण से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029 भू-राजस्व - 800-अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति के नाम जमा कराया जायेगा।

2. उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम पहाड़ी, तहसील सदर, जिला रामपुर से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त प्राधिकरण की भूमि को सार्वजनिक उपयोग /चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3. उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि गाटा संख्या- 274, 280, 290, 311, 323, 334, 341 कुल 07 किता रकवा 0.4710 हे० जो चकमार्ग/गूल/नरूआ के रूप में दर्ज है पर आवेदक प्राधिकरण का स्वामित्व निर्विवादित हो।

4. विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेगें।

5. विनिमय के सापेक्ष प्राधिकरण से गाटा 349,354 में प्राप्त होने वाली भूमि कुल रकबा 0.4710 हे० भूमि (349मि० रकबा 0.1580हे० चकमार्ग, 349मि० रकबा 0.1260 हे० नरूआ एवं 349मि० रकबा



0.1290हे0, 354मि0 रकबा 0.0580हे0 गूल भूमि) का राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित प्राधिकरण को दिया जायें साथ ही प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जायें।

6. विनिमय से ग्राम सभा को प्राप्त होने वाली भूमि एकजाई के रूप में प्रस्तावित है। अतः ग्राम सभा को प्राप्त भूमि को आम जनमानस के लोक उपयोगी बनाने अर्थात् उसी भूमि पर सार्वजनिक आवागमन/पहुंच इत्यादि सुनिश्चित करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

7. विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि (चकमार्ग/रास्ता) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

8. लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9. कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।”

उपरोक्त वाद में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3641/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि के श्रेणी परिवर्तन व विनिमय की अनुज्ञा प्रदत्त की गयी है। अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 व 101 व 102 में दी गयी विधि व्यवस्थाएं एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों व जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा में दी गयी शर्तों का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निम्नादेश पारित किया जाता है:-

आदेश

अतएव आदेश पारित किया जाता है जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3641/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम पहाडी तहसील सदर जिला रामपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 274/0.1580हे0, 280/0.0230हे0, 290/0.0540, 311/0.0480हे0, 323/0.1260हे0, 334/0.0380हे0, 341/0.0240हे0 कुल 07 किता रकबा 0.4710 हे0 जो चकमार्ग/गूल/नरूआ के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पहाडी तहसील सदर जिला रामपुर स्थित आराजी गाटा संख्या 349 मि०/0.4130हे0, 354 मि०/0.0580 हे कुल रकबा 0.4710 हे0 पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौली 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर गाटा संख्या 349 मि०/0.4130हे0, 354 मि०/0.0580 हे0 कुल रकबा 0.4710 हे0 में से 349मि० रकबा 0.1580हे0 चकमार्ग, 349मि० रकबा 0.1260हे0 नरूआ एवं 349मि० रकबा 0.1290हे0 व 354मि० रकबा 0.0580हे0 गूल के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जावे।

दिनांक- सितम्बर, 06, 2025

(कुमार गौरव)

उप जिलाधिकारी

सदर रामपुर।



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- उपजिलाधिकारी

मण्डल :मुरादाबाद , जनपद :रामपुर , तहसील :सदर

कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202513590110201

वाद संख्या:- 10201/2025

रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर प्राधिकृत अधिकारी बनाम ग्राम सभा द्वारा अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 101

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 06/09/2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया । वादी द्वारा उपरोक्त वाद पत्र में कथन अंकित किए गए हैं कि खाता सं० 165 गाटा संख्या 354 रकबा 0.4380 हे० स्थित मौजा पहाड़ी जो वादी की मिलकियत है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। खाता सं० 216 भूमि गाटा संख्या 168/0.0090, 291/0.0920हे०, 306/0.1070हे० 310/0.0890हे०, 319/0.0090हे०, 322/0.0790हे० तथा खाता सं० 217 गाटा सं० 236 रकबा 0.0300हे० तथा खाता सं० 211 गाटा सं० 347 रकबा 0.0230हे० स्थित मौजा पहाड़ी प्रतिवादी सम्पत्ति है और मौके पर काबिज दखील है और दर्ज सरकारी कागजात है। वादी की प्रस्तावित आवासीय योजना हेतु क्रय की गयी भूमि के बीच में प्रतिवादी की उक्त खाता सं० 216 भूमि गाटा संख्या 168/0.0090हे०, 291/0.0920हे०, 306/0.1070हे०, 310/0.0890 हे०, 319/0.0090 हे०, 322/0.0790हे० तथा खाता सं० 217 गाटा सं० 236 रकबा 0.0300 हे० तथा खाता सं० 211 गाटा सं० 347 रकबा 0.0230हे० स्थित मौजा पहाड़ी भूमि आती है जिससे आवासीय योजना के विकास में बाधा आ रही है। वादी सहमत है कि प्रस्तावित योजना के मध्य पड रही प्रतिवादी की उक्त भूमि के बदले में खाता सं० 165 गाटा संख्या 354 रकबा 0.4380 हे० स्थित मौजा पहाड़ी को विनिमय में दे दी जाये इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि का विहित रूप से अवधारित नुल्यांकनों के मध्य 10 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। प्रश्नगत ग्राम सभा भूमि उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के अन्तर्गत लोक उपयोगिता वाली रास्ता/चकमार्ग / नाली/गूल/नरूआ भूमि है। उक्त ग्राम सभा भूमि प्राधिकरण की विकास योजना के मध्य पडने के कारण अब इसकी लोक उपयोगिता नहीं रह जायेगी। उक्त के अलावा वादी / रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजना में सडकें / रास्ते/नाली/सीवर आदि का समुचित प्राविधान किया गया है, जिससे उक्त लोकप्रयोजन की पूर्ति भी हो जायेगी। उक्त श्रेणी की भूमियों के विनिमय हेतु समुचित प्राविधान एवं सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण उ०प्र० शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 688/ एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06.07.2020 एवं शासनादेश संख्या- 11/2020/889/एक-1-2020-20 (5) 2016 दिनांक 06.07.2020 में किये गये हैं, जिसमें श्रेणी परिवर्तन करके विनिमय की व्यवस्था की गयी है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भी उक्त विनिमय में अपनी सहमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी प्रति भी संलग्न है। विनिमय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि में पक्षकारान के अलावा किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। विनिमय होने वाली भूमि की उद्धरण खतौनियां संलग्न है। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क 50 रूपये के कोर्ट फीस सहित शपथपत्र संलग्न है। अन्त में प्रार्थना की है कि जिलाधिकारी महोदय से श्रेणी परिवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त करके उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उपरोक्त प्रस्तर-03 में वर्णित भूमि का विनिमय करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त वाद मे उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली के नियम 102 के खण्ड(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यो न विनिमय की अनुमति प्रदान कर दी जाए जो बाद तामीला उपरान्त पत्रावली संलग्न हुआ।



“शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के प्रस्तर 2 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि “राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुर्नग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में, जहाँ राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रू० 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इसप्रकार राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्तों द्वारा की जायेगी।”

उक्त शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3643/डी०एल०आर०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत अनुज्ञा न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्राप्त हुयी कि-

“उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण, जनपद रामपुर की ग्राम ताशका में प्रस्तावित आवासीय योजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्रामसभा पहाड़ी, तहसील सदर, जिला रामपुर की भूमि खसरा संख्या-168, 236, 291, 306, 310, 319, 322, 347 कुल 08 किता रकबा 0.4380 हे० जो चकमार्ग/रास्ता/गूल दर्ज है का श्रेणी परिवर्तन करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की उसी ग्राम में स्थित भूमि गाटा संख्या-354मि० में से रकबा 0.0300हे० रास्ता, 0.0230हे० गूल, 0.3850हे० चकमार्ग, के रूप में है, जिसका कुल मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से 35,04,000/- है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व उपजिलाधिकारी रामपुर/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1. उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राधिकरण की ग्राम ताशका में प्रस्तावित योजना अन्तर्गत आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। प्राधिकरण से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029 भू-राजस्व - 800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2. उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम पहाड़ी, तहसील सदर, जिला रामपुर से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त प्राधिकरण की भूमि को सार्वजनिक उपयोग /चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3. उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि गाटा संख्या- 168, 236, 291, 306, 310, 319, 322, 347 कुल 08 किता रकबा 0.4380 हे० जो चकमार्ग/रास्ता/गूल दर्ज है पर आवेदक प्राधिकरण का स्वामित्व निर्विवादित हो।

4. विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5. विनिमय के सापेक्ष प्राधिकरण से गाटा 354 में प्राप्त होने वाली भूमि कुल रकबा 0.4380 हे० भूमि (354मि० में से रकबा 0.0300हे० रास्ता, 0.0230 गूल, 0.3850 चकमार्ग,) का राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित प्राधिकरण



को दिया जाये साथ ही प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जाये।

6. विनिमय से ग्राम सभा को प्राप्त होने वाली भूमि एकजाई के रूप में प्रस्तावित है। अतः ग्राम सभा को प्राप्त भूमि को आम जनमानस के लोक उपयोगी बनाने अर्थात उसी भूमि पर सार्वजनिक आवागमन/पहुंच इत्यादि सुनिश्चित करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

7. विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि (चकमार्ग/रास्ता) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

8. लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9. कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।“

उपरोक्त वाद में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3643/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि के श्रेणी परिवर्तन व विनिमय की अनुज्ञा प्रदत्त की गयी है। अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 व 101 व 102 में दी गयी विधि व्यवस्थाएं एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों व जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा में दी गयी शर्तों का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निम्नादेश पारित किया जाता है:-

आदेश

अतएव आदेश पारित किया जाता है जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3643/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम पहाडी तहसील सदर जिला रामपुर स्थित आराजी गाटा संख्या 168/0.0090हे0, 236/0.0300हे0, 291/0.0920हे, 306/0.1070हे0, 310/0.0890हे0, 319/0.0090हे0, 322/0.0790हे0, 347/0.0230हे0 कुल 08 किता रकवा 0.4380 हे0 पर चकमार्ग/रास्ता/गूल के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पहाडी तहसील सदर जिला रामपुर स्थित आराजी गाटा संख्या 354 मि0/0.4380 हे0 पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर गाटा संख्या 354मि0 में से रकवा 0.0300हे0 रास्ता, रकवा 0.0230हे0 गूल, रकवा 0.3850हे0 चकमार्ग के रूप दर्ज अभिलेख किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जावे।

दिनांक- सितम्बर, 06, 2025

(कुमार गौरव)

उप जिलाधिकारी

सदर रामपुर।

Disclaimer :



उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- उपजिलाधिकारी

मण्डल :मुरादाबाद , जनपद :रामपुर , तहसील :सदर

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202513590110199

वाद संख्या:- 10199/2025

रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर प्राधिकृत अधिकारी बनाम ग्राम सभा द्वारा अध्यक्ष/सचिव/भूमि प्रबन्धक समिति

ग्रामभमरौआ

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 101

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 06/09/2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया । उपरोक्त वाद में वादी का कथन है कि खाता सं० 76 गाटा संख्या 248 रकबा 0.0538 हे० तथा खाता सं० 154 गाटा सं० 249 रकबा 0.1544 हे० स्थित मौजा पहाडी जो वादी की मिलकियत है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। खाता सं० 415 भूमि गाटा संख्या 471/0.0130 हे०, 489/0.1270 हे० तथा खाता सं० 413 गाटा सं० 477/0.0400हे०, 493/0.0480हे०, 505/0.0100 हे० स्थित मौजा भमरौआ प्रतिवादी सम्पत्ति है और मौके पर काबिज दखील है और दर्ज सरकारी कागजात है। वादी की प्रस्तावित आवासीय योजना हेतु क्रय की गयी भूमि के बीच में प्रतिवादी की उक्त खाता सं० 415 भूमि गाटा संख्या 471/0.0130 हे०, 489/0.1270 हे० तथा खाता सं० 413 गाटा सं० 477/0.0400हे०, 493/0.0480हे०, 505/0.0100 हे० स्थित मौजा भमरौआ भूमि आती है जिससे आवासीय योजना के विकास में बाधा आ रही है। वादी सहमत है कि प्रस्तावित योजना के मध्य पड रही प्रतिवादी की उक्त भूमि के बदले में खाता सं० 76 गाटा संख्या 248 रकबा 0.0538 हे० तथा खाता सं० 154 गाटा सं० 249 रकबा 0.1544 हे० स्थित मौजा पहाडी को विनिमय में दे दी जाये इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि का विहित रूप से अवधारित मुल्यांकनों के मध्य 10 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। प्रश्नगत ग्राम सभा भूमि उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के अन्तर्गत लोक उपयोगिता वाली रास्ता/चकमार्ग/नाली/गूल/नरूआ भूमि है। उक्त ग्राम सभा भूमि प्राधिकरण की विकास योजना के मध्य पड़ने के कारण अब इसकी लोक उपयोगिता नहीं रह जायेगी। उक्त के अलावा वादी/रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजना में सड़कें/रास्ते/नाली/सीवर आदि का समुचित प्राविधान किया गया है, जिससे उक्त लोकप्रयोजन की पूर्ति भी हो जायेगी। उक्त श्रेणी की भूमियों के विनिमय हेतु समुचित प्राविधान एवं सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण उ०प्र० शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 एवं शासनादेश संख्या- 11/2020/889/एक-1-2020-20 (5) 2016 दिनांक 06.07.2020 में किये गये हैं, जिसमें श्रेणी परिवर्तन करके विनिमय की व्यवस्था की गयी है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भी उक्त विनिमय में अपनी सहमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी प्रति भी संलग्न है। विनिमय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि में पक्षकारान के अलावा किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। विनिमय होने वाली भूमि की उद्धरण खतौनियां संलग्न है। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क 50 रूपये के कोर्ट फीस सहित शपथपत्र संलग्न है। अन्त में निवेदन किया गया है कि जिलाधिकारी महोदय से श्रेणी परिवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त करके उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उपरोक्त प्रस्तर-03 में वर्णित भूमि का विनिमय करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त वाद मे उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली के नियम 102 के खण्ड(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यो न विनिमय की



अनुमति प्रदान कर दी जाए। नोटिस जारी किए गए जो बाद तामीला उपरान्त पत्रावली संलग्न हुआ।

“शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के प्रस्तर 2 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि “राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुर्नग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में, जहाँ राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रू० 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इसप्रकार राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग हेतु विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्तों द्वारा की जायेगी।”

उक्त शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या..3644/डी०एल०आर०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत अनुज्ञा न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्राप्त हुयी कि-

“उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-101 के प्रावधानों के अनुसार विहित प्रक्रिया के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय रामपुर द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा में अंकित किया गया है कि उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण, जनपद रामपुर की ग्राम भमरौआ में प्रस्तावित आवासीय योजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम सभा भमरौआ, तहसील सदर, जिला रामपुर की भूमि खसरा संख्या-471/0.0130, 477/0.0400, 489/0.1270, 493/0.0480, 505/0.0100 कुल रकवा 0.2380 हे० जो रास्ता/चकमार्ग दर्ज है का श्रेणी परिवर्तन करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की ग्राम पहाड़ी में स्थित भूमि गाटा संख्या 248मि०/0.0538, 249 मि०/0.1544 कुल रकवा 0.2082हे० में रास्ता/चकमार्ग से, जिसका कुल मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से 16,65,600/- है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व उपजिलाधिकारी रामपुर/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1. उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राधिकरण की ग्राम भमरौआ में प्रस्तावित योजना अन्तर्गत आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। प्राधिकरण से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029 भू-राजस्व - 800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2. उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम पहाड़ी, तहसील सदर, जिला रामपुर से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त प्राधिकरण की भूमि को सार्वजनिक उपयोग रास्ता/चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3. उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि स्थित ग्राम भमरौआ गाटा संख्या- 471/0.0130, 477/0.0400, 489/0.1270, 493/0.0480, 505/0.0100 कुल रकवा 0.2380 हे० जो रास्ता/चकमार्ग दर्ज है पर, आवेदक प्राधिकरण का स्वामित्व निर्विवादित हो।



4. विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5. विनिमय के सापेक्ष प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली ग्राम पहाड़ी में स्थित भूमि गाटा-संख्या 248मि/0.0538, 249 मि/0.1544 कुल रकवा 0.2082हे0 में रास्ता/चकमार्ग पर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज होने के उपरान्त ग्राम सभा को प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित प्राधिकरण को दिया जाये साथ ही प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जायें।

6. विनिमय से ग्राम सभा को प्राप्त होने वाली भूमि एकजाई के रूप में प्रस्तावित है। अतः ग्राम सभा को प्राप्त भूमि को आम जनमानस के लोक उपयोगी बनाने अर्थात् उसी भूमि पर सार्वजनिक आवागमन/पहुंच इत्यादि सुनिश्चित करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

7. विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा को प्रस्तावित भूमि (चकमार्ग/रास्ता) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

8. लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9. कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।”

उपरोक्त वाद में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3642/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि के श्रेणी परिवर्तन व विनिमय की अनुज्ञा प्रदत्त की गयी है। अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 व 101 व 102 में दी गयी विधि व्यवस्थाएं एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों व जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा में दी गयी शर्तों का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निम्नादेश पारित किया जाता है:-

आदेश

अतएव आदेश पारित किया जाता है जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3642/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम भमरौआ के गाटा संख्या 471/0.0130हे0, गाटा संख्या 477/0.0400हे0, गाटा संख्या 489/0.1270, गाटा संख्या 493/0.0480, गाटा संख्या 505/0.0100हे0 कुल रकवा 0.2380 हे0 पर रास्ता/चकमार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पहाड़ी के गाटा संख्या 248मि/0.0538हे0, गाटा संख्या 249मि/0.1544हे0 कुल रकवा 0.2082हे0 पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रास्ता/चकमार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जावे।

दिनांक- सितम्बर, 06, 2025

(कुमार गौरव)

उप जिलाधिकारी



सदर रामपुर।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- उपजिलाधिकारी

मण्डल :मुरादाबाद , जनपद :रामपुर , तहसील :सदर

कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202513590110196

वाद संख्या:- 10196/2025

रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर प्राधिकृत अधिकारी बनाम ग्राम सभा द्वारा अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 101

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 06/09/2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया । वादी द्वारा उपरोक्त दावे में कथन अंकित किए गए हैं कि खाता सं० 76 गाटा संख्या 248 रकबा 0.0772 हे० तथा खाता सं० 127 गाटा सं० 349 रकबा 0.1280हे० तथा खाता सं० 203 गाटा सं० 345 रकबा 0.2608 हे० स्थित मौजा पहाडी जो वादी की मिलकियत है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। खाता सं० 216 भूमि गाटा संख्या 252/0.022हे०, 256/0.0030हे०, 269/0.0130हे०, 281/0.0710हे०, 326/0.007हे०, 328/0.0660हे०, 329/0.0740हे०, 340/0.0650 हे०, 348/0.0480हे०, 351/0.0280हे०, 355/0.063हे०, 358/0.0060 हे० स्थित मौजा पहाडी प्रतिवादी सम्पत्ति है और मौके पर काबिज दखील है और दर्ज सरकारी कागजात है। वादी की प्रस्तावित आवासीय योजना हेतु क्रय की गयी भूमि के बीच में प्रतिवादी की उक्त खाता सं० 216 भूमि गाटा संख्या 252/0.022हे०, 256/0.0030हे०, 269/0.0130हे०, 281/0.0710हे०, 326/0.007हे०, 328/0.0660हे०, 329/0.0740हे०, 340/0.0650 हे०, 348/0.0480हे०, 351/0.0280हे०, 355/0.063हे०, 358/0.0060 हे० स्थित मौजा पहाडी भूमि आती है जिससे आवासीय योजना के विकास में बाधा आ रही है। वादी सहमत है कि प्रस्तावित योजना के मध्य पड रही प्रतिवादी की उक्त भूमि के बदले में खाता सं० 76 गाटा संख्या 248 रकबा 0.0772 हे० तथा खाता सं० 127 गाटा सं० 349 रकबा 0.1280 हे० तथा खाता सं० 203 गाटा सं० 345 रकबा 0.2608हे० स्थित मौजा पहाडी को विनिमय में दे दी जाये इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि का विहित रूप से अवधारित मुल्यांकनों के मध्य 10 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। प्रश्नगत ग्राम सभा भूमि उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के अन्तर्गत लोक उपयोगिता वाली रास्ता/चकमार्ग/नाली/गूल/नरूआ भूमि है। उक्त ग्राम सभा भूमि प्राधिकरण की विकास योजना के मध्य पडने के कारण अब इसकी लोक उपयोगिता नहीं रह जायेगी। उक्त के अलावा वादी/रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजना में सडकें/रास्ते/नाली/सीवर आदि का समुचित प्राविधान किया गया है, जिससे उक्त लोकप्रयोजन की पूर्ति भी हो जायेगी। उक्त श्रेणी की भूमियों के विनिमय हेतु समुचित प्राविधान एवं सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण उ०प्र० शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 एवं शासनादेश संख्या- 11/2020/889/एक-1-2020-20 (5) 2016 दिनांक 06.07.2020 में किये गये हैं, जिसमें श्रेणी परिवर्तन करके विनिमय की व्यवस्था की गयी है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भी उक्त विनिमय में अपनी सहमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी प्रति भी संलग्न है। विनिमय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि में पक्षकारान के अलावा किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। विनिमय होने वाली भूमि की उद्धरण खतौनियां संलग्न है। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क 50 रूपये के कोर्ट फीस सहित शपथपत्र संलग्न है। अन्त में प्रार्थना की गयी है कि जिलाधिकारी महोदय से श्रेणी परिवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त करके उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उपरोक्त प्रस्तर-03 में वर्णित भूमि का विनिमय करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त वाद मे उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली के नियम 102 के खण्ड(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यो न विनिमय की



अनुमति प्रदान कर दी जाए। नोटिस जारी किए गए जो बाद तामीला उपरान्त पत्रावली संलग्न हुआ।

“शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के प्रस्तर 2 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि “राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुर्नग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में, जहाँ राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रू० 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इसप्रकार राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्तों द्वारा की जायेगी।”

उक्त शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3640/डी०एल०आर०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत अनुज्ञा न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्राप्त हुयी कि-

“उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण, जनपद रामपुर की ग्राम पहाड़ी में प्रस्तावित आवासीय योजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्रामसभा पहाड़ी, तहसील सदर, जिला रामपुर की भूमि खसरा संख्या-252, 256, 269, 281, 326, 328, 329,340,348,351,355,358 कुल 12 किता रकवा 0.4660 हे० (जो चकमार्ग के रूप में दर्ज है) का श्रेणी परिवर्तन करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की उसी ग्राम में स्थित भूमि गाटा संख्या- 248 मि०/0.0772, 349 मि०/0.1280, 345/0.2608 कुल रकवा 0.4660 हे० भूमि, जिसका कुल मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से 37,28,000/- है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व उपजिलाधिकारी रामपुर/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1. उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राधिकरण की ग्राम ताशका में प्रस्तावित योजना अन्तर्गत आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। प्राधिकरण से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029 भू-राजस्व - 800-अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति के नाम जमा कराया जायेगा।

2. उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम पहाड़ी, तहसील सदर, जिला रामपुर से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त प्राधिकरण की भूमि को सार्वजनिक उपयोग /चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3. उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि गाटा संख्या- 252, 256, 269, 281, 326, 328, 329,340,348,351,355,358 कुल 12 किता रकवा 0.4660 हे० पर आवेदक प्राधिकरण का स्वामित्व निर्विवादित हो।

4. विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।



5. विनिमय के सापेक्ष प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि कुल रकबा 0.4660 हे० भूमि (एकजाई रूप में जिसकी नौख्यत चकमार्ग रहेगी) का राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित प्राधिकरण को दिया जाये साथ ही प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जायें।

6. विनिमय से ग्राम सभा को प्राप्त होने वाली भूमि एकजाई के रूप में प्रस्तावित है। अतः ग्राम सभा को प्राप्त भूमि को आम जनमानस के लोक उपयोगी बनाने अर्थात् उसी भूमि पर सार्वजनिक आवागमन/पहुंच इत्यादि सुनिश्चित करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

7. विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि (चकमार्ग/रास्ता) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

8. लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9. कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।“

उपरोक्त वाद में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3640/डी०एल०आर०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि के श्रेणी परिवर्तन व विनिमय की अनुज्ञा प्रदत्त की गयी है। अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 व 101 व 102 में दी गयी विधि व्यवस्थाएं एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों व जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा में दी गयी शर्तों का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निम्नादेश पारित किया जाता है:-

आदेश

अतएव आदेश पारित किया जाता है जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3640/डी०एल०आर०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम पहाड़ी तहसील सदर जिला रामपुर स्थित गाटा संख्या 252/0.0220हे०, 256/0.0030हे०, 269/0.0130हे०, 281/0.0710हे०, 326/0.0070हे०, 328/0.0660हे०, 329/0.0740हे०, 340/0.0650हे०, 348/0.0480हे०, 351/0.0280हे०, 355/0.0630हे०, 358/0.0060हे० कुल 12 किता रकबा 0.4660 हे० चकमार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पहाड़ी के गाटा संख्या 248मि०/0.0772हे०, 349मि०/0.1280हे०, 345/0.2608हे० रकबा 0.4660 हे० पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर चकमार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जावे।

दिनांक- सितम्बर, 06, 2025

(कुमार गौरव)

उप जिलाधिकारी

सदर रामपुर।



Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- उपजिलाधिकारी

मण्डल :मुरादाबाद , जनपद :रामपुर , तहसील :सदर

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202513590110195

वाद संख्या:- 10195/2025

रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर प्राधिकृत अधिकारी बनाम ग्राम सभा बडपुरा शर्की द्वारा अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्ध समिति ग्राम बडपुरा शर्की

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 101

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 06/09/2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया । वादी द्वारा वादपत्र में कथन कहे कि खाता सं० 12 भूमि गाटा संख्या 467 रकबा 0.0978 हे० तथा खाता सं० 37 गाटा सं० 473 रकबा 0.1377 हे० तथा खाता सं० 17 गाटा सं० 474/2 रकबा 0.0045 हे० स्थित मौजा ताशका जो वादी की मिलकियत है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। खाता सं० 225 गाटा संख्या 3 रकबा 0.0340 हे०, गाटा सं० 9 रकबा 0.0750हे०, गाटा सं० 16 रकबा 0.0130हे०, गाटा सं० 32 रकबा 0.0530 हे०, गाटा सं० 36 रकबा 0.0230हे० तथा खाता सं० 227 गाटा सं० 4 रकबा 0.0380हे० तथा खाता सं० 229 गाटा सं० 41 रकबा 0.0170हे० स्थित मौजा बडपुरा शर्की प्रतिवादी सम्पत्ति है और मौके पर काबिज दखील है और दर्ज सरकारी कागजात है। वादी की प्रस्तावित आवासीय योजना हेतु क्रय की गयी भूमि के बीच में प्रतिवादी की उक्त खाता सं० 225 गाटा संख्या 3 रकबा 0.0340 हे०, गाटा सं० 9 रकबा 0.0750हे०, गाटा सं० 16 रकबा 0.0130हे०, गाटा सं० 32 रकबा 0.0530 हे०, गाटा सं० 36 रकबा 0.0230हे० तथा खाता सं० 227 गाटा सं० 4 रकबा 0.0380हे० तथा खाता सं० 229 गाटा सं० 41 रकबा 0.0170हे० स्थित मौजा बडपुरा शर्की भूमि आती है जिससे आवासीय योजना के विकास में बाधा आ रही है। वादी सहमत है कि प्रस्तावित योजना के मध्य पड रही प्रतिवादी की उक्त भूमि के बदले में खाता सं० 12 भूमि गाटा संख्या 467 रकबा 0.0978 हे० तथा खाता सं० 37 गाटा सं० 473 रकबा 0.1377 हे० तथा खाता सं० 17 गाटा सं० 474/2 रकबा 0.0045 हे० स्थित मौजा ताशका को विनिमय में दे दी जाये इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि का विहित रूप से अवधारित मुल्यांकनों के मध्य 10 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। प्रश्नगत ग्राम सभा भूमि उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के अन्तर्गत लोक उपयोगिता वाली रास्ता/चकमार्ग/नाली/गूल/नरूआ भूमि है। उक्त ग्राम सभा भूमि प्राधिकरण की विकास योजना के मध्य पडने के कारण अब इसकी लोक उपयोगिता नहीं रह जायेगी। उक्त के अलावा वादी/रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजना में सडके/रास्ते/नाली/सीवर आदि का समुचित प्राविधान किया गया है, जिससे उक्त लोकप्रयोजन की पूर्ति भी हो जायेगी। उक्त श्रेणी की भूमियों के विनिमय हेतु समुचित प्राविधान एवं सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण उ०प्र० शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 एवं शासनादेश संख्या- 11/2020/889/एक-1-2020-20 (5) 2016 दिनांक 06.07.2020 में किये गये हैं, जिसमें श्रेणी परिवर्तन करके विनिमय की व्यवस्था की गयी है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भी उक्त विनिमय में अपनी सहमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी प्रति भी संलग्न है। विनिमय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि में पक्षकारान के अलावा किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। विनिमय होने वाली भूमि की उद्धरण खतौनियां संलग्न है। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क 50 रूपये के कोर्ट फीस सहित शपथपत्र संलग्न है। अन्त में निवेदन किया है कि जिलाधिकारी महोदय से श्रेणी परिवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त करके उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उपरोक्त प्रस्तर-03 में वर्णित भूमि का विनिमय करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।



उपरोक्त वाद मे उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली के नियम 102 के खण्ड(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यो न विनिमय की अनुमति प्रदान कर दी जाए । नोटिस जारी किए गए जो बाद तामीला उपरान्त पत्रावली संलग्न हुआ।

“शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के प्रस्तर 2 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि “राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुर्नग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां, उन दशाओं में, जहाँ राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रू० 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इसप्रकार राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्तों द्वारा की जायेगी।”

उक्त शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या..3644/डी०एल०आर०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत अनुज्ञा न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्राप्त हुयी कि-

“उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण, जनपद रामपुर की ग्राम बड़पुरा शर्की में प्रस्तावित आवासीय योजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम सभा बड़पुरा शर्की, तहसील सदर, जिला रामपुर की भूमि खसरा संख्या 3/0.0340, 4/0.0380, 9/0.0750, 16/0.0130, 32/0.0530, 36/0.0230, 41/0.0170 कुल रकवा 0.2530 हे० जो गूल/नरूआ/चकमार्ग दर्ज है का श्रेणी परिवर्तन करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की ग्राम ताशका में स्थित भूमि गाटा संख्या 467/0.0978हे, 473/0.1377हे०, 474/0.0045हे० कुल रकवा 0.2400 हे० में गूल/नरूआ/चकमार्ग से, जिसका कुल मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से 33,60,000/- है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व उपजिलाधिकारी रामपुर/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1. उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राधिकरण की ग्राम बड़पुरा शर्की में प्रस्तावित योजना अन्तर्गत आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। प्राधिकरण से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029 भू-राजस्व - 800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2. उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम ताशका, तहसील सदर, जिला रामपुर से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त प्राधिकरण की भूमि को सार्वजनिक उपयोग रास्ता/चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3. उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि स्थित ग्राम बड़पुरा शर्की गाटा संख्या 3/0.0340, 4/0.0380, 9/0.0750, 16/0.0130, 32/0.0530, 36/0.0230, 41/0.0170 कुल रकवा 0.2530 हे० जो गूल/नरूआ/चकमार्ग दर्ज है, पर आवेदक प्राधिकरण का स्वामित्व निर्विवादित हो।



4. विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5. विनिमय के सापेक्ष प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली ग्राम ताशका में स्थित भूमि गाटा संख्या 467/0.0978हे, 473/0.1377हे0, 474/0.0045हे0 कुल रकवा 0.2400 हे0 में गूल/नरूआ/चकमार्ग पर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज होने के उपरान्त ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित प्राधिकरण को दिया जाये साथ ही प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जाये।

6. विनिमय से ग्राम सभा को प्राप्त होने वाली भूमि एकजाई के रूप में प्रस्तावित है। अतः ग्राम सभा को प्राप्त भूमि को आम जनमानस के लोक उपयोगी बनाने अर्थात् उसी भूमि पर सार्वजनिक आवागमन/पहुंच इत्यादि सुनिश्चित करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

7. विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि (चकमार्ग/रास्ता) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

8. लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9. कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।”

उपरोक्त वाद में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3639/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि के श्रेणी परिवर्तन व विनिमय की अनुज्ञा प्रदत्त की गयी है। अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 व 101 व 102 में दी गयी विधि व्यवस्थाएं एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों व जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा में दी गयी शर्तों का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निम्नादेश पारित किया जाता है:-

आदेश

अतएव आदेश पारित किया जाता है जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3639/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर आदेश पारित किया जाता है ग्राम बड़पुरा शर्की के गाटा संख्या 3/0.0340हे0, गाटा संख्या 4/0.0380हे0, गाटा संख्या 9/0.0750हे0, गाटा संख्या 16/0.0130हे0, गाटा संख्या 32/0.0530हे0, गाटा संख्या 36/0.0230, गाटा संख्या 41/0.0170हे0 कुल रकवा 0.2530 हे0 पर गूल/नरूआ/चकमार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालोनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम ताशका के गाटा संख्या 467/0.0978हे0, गाटा संख्या 473/0.1377हे0, गाटा संख्या 474/0.0045हे0 कुल रकवा 0.2400हे0 पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालोनी 32/7 के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर गूल/नरूआ/चकमार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जावे।

दिनांक- सितम्बर, 06, 2025



(कुमार गौरव)
उप जिलाधिकारी
सदर रामपुर।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- उपजिलाधिकारी

मण्डल :मुरादाबाद , जनपद :रामपुर , तहसील :सदर

कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202513590110194

वाद संख्या:- 10194/2025

रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर प्राधिकृत अधिकारी बनाम नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा अधिशासी अधिक

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 101

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 06/09/2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया । उपरोक्त वाद मे वादी का कथन है कि खाता सं० 00054 भूमि गाटा संख्या 471 रकबा 0.1140 हे० तथा खाता सं० 00053 गाटा सं० 472 रकबा 0.1010हे० स्थित मौजा ताशका जो वादी की मिलकियत है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। खाता सं० 00056 गाटा संख्या 462/1 रकबा 0.2150 हे० स्थित मौजा ताशका प्रतिवादी सम्पत्ति है और मौके पर काबिज दखील है और दर्ज सरकारी कागजात है। वादी की प्रस्तावित आवासीय योजना हेतु क्रय की गयी भूमि के बीच में प्रतिवादी की उक्त गाटा सं० 462/1 स्थित ग्राम ताशका रकबा 0.2150 हे० भूमि आती है जिससे आवासीय योजना के विकास में बाधा आ रही है। वादी सहमत है कि प्रस्तावित योजना के मध्य पड रही प्रतिवादी की भूमि गाटा सं० 462/1 की उक्त रकबा 0.2150 हे० के बदले में खाता सं० 00054 भूमि गाटा संख्या 471 रकबा 0.1140 हे० तथा खाता सं० 00053 गाटा सं० 472 रकबा 0.1010हे० स्थित मौजा ताशका को विनिमय में दे दी जाये इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि का विहित रूप से अवधारित मुल्यांकनों के मध्य 10 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। प्रश्नगत ग्राम सभा भूमि उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के अन्तर्गत लोक उपयोगिता वाली रास्ता/चकमार्ग / नाली/गूल/नरूआ भूमि है। उक्त ग्राम सभा भूमि प्राधिकरण की विकास योजना के मध्य पडने के कारण अब इसकी लोक उपयोगिता नहीं रह जायेगी। उक्त के अलावा वादी/रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजना में सडके/रास्ते/नाली/सीवर आदि का समुचित प्राविधान किया गया है। जिससे उक्त लोकप्रयोजन की पूर्ति भी हो जायेगी। उक्त श्रेणी की भूमियों के विनिमय हेतु समुचित प्राविधान एवं सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण उ०प्र० शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 688/ एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06.07.2020 एवं शासनादेश संख्या-11/2020/889/एक-1-2020-20(5) 2016 दिनांक 06.07.2020 में किये गये हैं, जिसमें श्रेणी परिवर्तन करके विनिमय की व्यवस्था की गयी है। 7. यह कि भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भी उक्त विनिमय में अपनी सहमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी प्रति भी संलग्न है। विनिमय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि में पक्षकारान के अलावा किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। विनिमय होने वाली भूमि की उद्धरण खतौनियां संलग्न है। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क 50 रूपये के कोर्ट फीस सहित शपथपत्र संलग्न है। अन्त में प्रार्थना की गयी है कि जिलाधिकारी महोदय से श्रेणी परिवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त करके उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत बादी एवं प्रतिवादी के मध्य उपरोक्त प्रस्तर-03 में वर्णित भूमि का विनिमय करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त वाद मे उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली के नियम 102 के खण्ड(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यो न विनिमय की अनुमति प्रदान कर दी जाए । नोटिस जारी किए गए जो बाद तामीला उपरान्त पत्रावली संलग्न हुआ।

“शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के प्रस्तर 2 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि “राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-



20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों / वस्तुओं के पुर्नग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ, उन दशाओं में, जहाँ राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा ₹0 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इसप्रकार राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्तों द्वारा की जायेगी।“

उक्त शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या..3644/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत अनुज्ञा न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्राप्त हुयी कि-

“उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण, जनपद रामपुर की ग्राम ताशका में प्रस्तावित आवासीय योजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम सभा ताशका, तहसील सदर, जिला रामपुर की भूमि खसरा संख्या-462/1 रकवा 0.2150 हे० जो रास्ता दर्ज है का श्रेणी परिवर्तन करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की उसी ग्राम में स्थित भूमि गाटा संख्या- संख्या 471/0.1140, 472/0.1010 से जिसका कुल मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से 30,10,000/- है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व उपजिलाधिकारी रामपुर/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1. उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राधिकरण की ग्राम ताशका में प्रस्तावित योजना अन्तर्गत आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। प्राधिकरण से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029 भू-राजस्व - 800-अन्य प्राप्ति-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति के नाम जमा कराया जायेगा।

2. उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम पहाड़ी, तहसील सदर, जिला रामपुर से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त प्राधिकरण की भूमि को सार्वजनिक उपयोग /चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3. उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि गाटा संख्या- 462/1 रकवा 0.2150 हे० जो रास्ता दर्ज है पर आवेदक प्राधिकरण का स्वामित्व निर्विवादित हो।

4. विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5. विनिमय के सापेक्ष प्राधिकरण से गाटा 471/0.1140हे०, 472/0.1010हे० से प्राप्त होने वाली भूमि कुल रकबा 0.2150 हे० भूमि का रास्ता के रूप में राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित प्राधिकरण को दिया जाये साथ ही प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जाये।



6. विनिमय से ग्राम सभा को प्राप्त होने वाली भूमि एकजाई के रूप में प्रस्तावित है। अतः ग्राम सभा को प्राप्त भूमि को आम जनमानस के लोक उपयोगी बनाने अर्थात् उसी भूमि पर सार्वजनिक आवागमन/पहुंच इत्यादि सुनिश्चित करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

7. विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि (चकमार्ग/रास्ता) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

8. लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9. कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।”

उपरोक्त वाद में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3644/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि के श्रेणी परिवर्तन व विनिमय की अनुज्ञा प्रदत्त की गयी है। अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 व 101 व 102 में दी गयी विधि व्यवस्थाएं एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों व जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा में दी गयी शर्तों का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निम्नादेश पारित किया जाता है:-

आदेश

अतएव आदेश पारित किया जाता है जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3644/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम ताशका तहसील सदर जिला रामपुर के गाटा संख्या 462/1, रकवा 0.2150 हे० पर रास्ता के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम ताशका तहसील सदर जिला रामपुर स्थित आराजी गाटा संख्या 471/0.1140, 472/0.1010 हे० कुल रकवा 0.2150 हे० पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर चकमार्ग/गूल/नरूआ के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जावे।

दिनांक- सितम्बर, 06, 2025

(कुमार गौरव)

उप जिलाधिकारी

सदर रामपुर।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।”



न्यायालय :- उपजिलाधिकारी

मण्डल :मुरादाबाद , जनपद :रामपुर , तहसील :सदर

कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या:- T202513590110192

वाद संख्या:- 10192/2025

रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर प्राधिकृत अधिकारी बनाम ग्राम सभा द्वारा अध्यक्ष/सचिव/भूमि प्रबन्धक समिति

ग्रामभमरौआ

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 101

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 06/09/2025

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2025 के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया । वादी द्वारा उपरोक्त वाद पत्र मे कथन किए है कि खाता सं० 126 गाटा संख्या 244 रकबा 0.2180हे० तथा खाता सं० 154 गाटा सं० 249 रकबा 0.1906 हे० स्थित मौजा पहाडी जो वादी की मिलकियत है तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। खाता सं० 407 भूमि गाटा संख्या 488 रकबा 0.4550 हे० तथा गाटा 502 रकबा 0.0120हे० स्थित मौजा भमरौआ प्रतिवादी सम्पत्ति है और मौके पर काबिज दखील है और दर्ज सरकारी कागजात है। वादी की प्रस्तावित आवासीय योजना हेतु क्रय की गयी भूमि के बीच में प्रतिवादी की उक्त खाता सं० 407 भूमि गाटा संख्या 488 रकबा 0.4550हे० तथा गाटा 502 रकबा 0.0120हे० स्थित मौजा भमरौआ भूमि आती है जिससे आवासीय योजना के विकास में बाधा आ रही है। वादी सहमत है कि प्रस्तावित योजना के मध्य पड़ रही प्रतिवादी की उक्त भूमि के बदले में खाता सं० 126 गाटा संख्या 244 रकबा 0.2180 हे० तथा खाता सं० 154 गाटा सं० 249 रकबा 0.1906हे० स्थित मौजा पहाडी को विनिमय में दे दी जाये इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि का विहित रूप से अवधारित मुल्यांकनों के मध्य 10 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। विनिमय में दी जाने वाली भूमि तथा विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं है। प्रश्नगत ग्राम सभा भूमि उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा-77 के अन्तर्गत लोक उपयोगिता वाली रास्ता/चकमार्ग/नाली/मूल/नरूआ भूमि है। उक्त ग्राम सभा भूमि प्राधिकरण की विकास योजना के मध्य पड़ने के कारण अब इसकी लोक उपयोगिता नहीं रह जायेगी। उक्त के अलावा वादी/रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजना में सडकें/रास्ते/नाली / सीवर आदि का समुचित प्राविधान किया गया है, जिससे उक्त लोकप्रयोजन की पूर्ति भी हो जायेगी। उक्त श्रेणी की भूमियों के विनिमय हेतु समुचित प्राविधान एवं सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण उ०प्र० शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06.07.2020 एवं शासनादेश संख्या- 11/2020/889/एक-1-2020-20 (5) 2016 दिनांक 06.07.2020 में किये गये हैं, जिसमें श्रेणी परिवर्तन करके विनिमय की व्यवस्था की गयी है। भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भी उक्त विनिमय में अपनी सहमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी प्रति भी संलग्न है। विनिमय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि में पक्षकारान के अलावा किसी अन्य का कोई हक व हिस्सा नहीं है। विनिमय होने वाली भूमि की उद्धरण खतौनियां संलग्न है। प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क 50 रूपये के कोर्ट फीस सहित शपथपत्र संलग्न है। अन्त में प्रार्थना की गयी है कि जिलाधिकारी महोदय से श्रेणी परिवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त करके उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उपरोक्त प्रस्तर-03 में वर्णित भूमि का विनिमय करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त वाद मे उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली के नियम 102 के खण्ड(1) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यो न विनिमय की अनुमति प्रदान कर दी जाए , जो बाद तामीला उपरान्त पत्रावली संलग्न हुआ।

“शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के प्रस्तर 2 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि “राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 688/एक-1-2020-



20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ, उन दशाओं में, जहाँ राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हो, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा ₹0 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इसप्रकार राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग के लिए तथा जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुनर्ग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्तों द्वारा की जायेगी।“

उक्त शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3638/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत अनुज्ञा न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्राप्त हुयी कि-

“उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अन्तर्गत विनिमय की माँगी गयी अनुज्ञा/संस्तुति के क्रम में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण, जनपद रामपुर की ग्राम भमरौआ में प्रस्तावित आवासीय योजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम सभा भमरौआ, तहसील सदर, जिला रामपुर की भूमि खसरा संख्या-488/0.4550, 502/0.0120 कुल रकवा 0.4670 हे० जो गूल दर्ज है का श्रेणी परिवर्तन करते हुए रामपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की ग्राम पहाड़ी में स्थित भूमि गाटा संख्या- 244/0.2180, 249मि०/0.1906 से, जिसका कुल मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के हिसाब से 32,68,800/- है, से विनिमय की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन इस अभ्युक्ति के साथ प्रदान की जाती है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 101 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराने का दायित्व उपजिलाधिकारी रामपुर/सक्षम प्राधिकारी का होगा।

1. उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राधिकरण की ग्राम भमरौआ में प्रस्तावित योजना अन्तर्गत आ जाने के दृष्टिगत किया जा रहा है। प्राधिकरण से आरक्षित श्रेणी की भूमि के श्रेणी परिवर्तन जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक-0029 भू-राजस्व - 800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के नाम जमा कराया जायेगा।

2. उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर के स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम पहाड़ी, तहसील सदर, जिला रामपुर से विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा/स्थानीय निकाय को प्राप्त प्राधिकरण की भूमि को सार्वजनिक उपयोग /चकमार्ग के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

3. उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि स्थित ग्राम भमरौआ गाटा संख्या- 488/0.4550, 502/0.0120 कुल रकवा 0.4670 हे० जो गूल दर्ज है पर, आवेदक प्राधिकरण का स्वामित्व निर्विवादित हो।

4. विनिमय में दी जाने वाली भूमि एवं विनिमय में प्राप्त होने वाली भूमि के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी रामपुर द्वारा वर्तमान प्रभावी सर्किल दर के आधार पर भूमि मूल्य का निश्चय कर अग्रिम कार्यवाही करेंगे।

5. विनिमय के सापेक्ष प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली ग्राम पहाड़ी में स्थित भूमि गाटा - संख्या 244/0.2180, 249 मि०/0.1906 पर राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा (गूल) के नाम इन्द्राज होने के उपरान्त ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि का कब्जा आवेदित प्राधिकरण को दिया जाये साथ ही प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली भूमि के राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद की खतौनी फोटोग्राफ सहित उपलब्ध करायी जाये।



6. विनिमय से ग्राम सभा को प्राप्त होने वाली भूमि एकजाई के रूप में प्रस्तावित है। अतः ग्राम सभा को प्राप्त भूमि को आम जनमानस के लोक उपयोगी बनाने अर्थात उसी भूमि पर सार्वजनिक आवागमन/पहुंच इत्यादि सुनिश्चित करने हेतु रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

7. विनिमय हेतु प्रस्तावित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को दिये जाने से पूर्व इस आशय की भी पुष्टि कर ली जाये कि प्रश्नगत ग्राम सभा की प्रस्तावित भूमि (चकमार्ग/रास्ता) के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति लंबित न हो।

8. लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर उपजिलाधिकारी रामपुर द्वारा अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जाएगा।

9. कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद एवं अद्योहस्ताक्षरी को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।”

उपरोक्त वाद में जिलाधिकारी महोदय रामपुर के कार्यालय आदेश संख्या 3638/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि के श्रेणी परिवर्तन व विनिमय की अनुज्ञा प्रदत्त की गयी है। अतः जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 77 व 101 व 102 में दी गयी विधि व्यवस्थाएं एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त शासनादेशों में निहित दिशा-निर्देशों व जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा में दी गयी शर्तों का उल्लंघन होता है तो ऐसी दशा में आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर निम्नादेश पारित किया जाता है:-

आदेश

अतएव आदेश पारित किया जाता है जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3638/डी0एल0आर0सी0/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम भमरौआ के गाटा संख्या 488/0.4550हे0, गाटा संख्या 502/0.0120हे0 कुल रकवा 0.4670 हे0 जो गूल के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पहाड़ी के गाटा संख्या 244/0.2180, गाटा संख्या 249मि0/0.1906 हे0 कुल रकवा 0.4086 हे0 पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर गूल के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर की जावे।

दिनांक-सितम्बर, 06, 2025

(कुमार गौरव)

उप जिलाधिकारी

सदर, रामपुर।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।”

उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)
07/September/2025 03:51:50 PM

वनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116956

तहसील : सदर
फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

ग्राम : बहपुरा थर्की
खता संख्या : 00225

बंदी : 1-क/पूनि को दफ्तर्मातीय भूमिपत्री केअधिकार में हो।

खसरा/गाटा संख्या	खतदार का विवरण	खतदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खतदार का अंश
(2) नाम/दिया-वति-सरक्षक-प्रबंधक का नाम / बगि कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अवकाशन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / व्यवहारी (अवयक्त हस्त)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अवकाश आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पूनीक कोड)	(6) गाटा का कुल क्षेत्रफल(हे०)
3 1) दन्तपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / खतदार पाल सिंह अरर अतिरन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण दन्तपुर / अवकाश विकास कारिनी 3277	1) राजरस न्यायालय (उप जिला अधिकारी, लहरीवाल सरस) / 1202513590110195 / 06-09- 2025 / विनिमय		3 (11695600030000012)	0.0340
				(7) हिस्से में
				1) -
				(8) क्षेत्रफल में(हे०)
				1) 0.0340
				(9) खतदार द्वारा देय भू-राजस्व
				0.00
				0.0340

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : मूल्य दशमलव शून्य तीन चार शून्य (हिन्देपर)

कुल भू-राजस्व : मूल्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : मूल्य दशमलव शून्य तीन चार शून्य (हिन्देपर)





भूखेख - खतीनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:19:23 AM

बनपद : रामपुर

ग्राम कोड : 116956

तहसील : सदर

फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

ग्राम : बहुरा शर्की

खाता संख्या : 00227

बैंची : 1-क/भूमि जो सार्वजनिक भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-सरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6- 9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीव का आधार	(4) वर्ष	(5) क्रममा उक्त खसरे को प्रशिक्षित (भूखेख (गाटा) के बाद प्रस्ता / विकल्प / भू-नक्शा / नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।	(6) गाटा का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
4	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कारोबारी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सर) / 2025/135901/10195 / 06-09-2025 / विनिमय		4 (1169560004000012)	0.0380	1)-	1) 0.0380	0.00

0.0380

कुल गाटा : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य तीन आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य तीन आठ शून्य (हेक्टेयर)

न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या अथवा आदेश संख्या /
आदेश का दिनांक / नामान्तरण का
आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर
दिनांक

(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)

(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड

(13) क्षेत्रफल(हे०)

(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)

(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड

(16) क्षेत्रफल(हे०)

1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) /
t202513590110195 / 06-09-2025
/ विनिमय / DILEEP KUMAR
SAXENA 0 / 06-09-2025

1.1) नरुअ/---/--- (: 0.0000)

4 (1169560004000012)

1.1) 0.0380

1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा /

4 (1169560004000012)

1.1) 0.0380

जगदीश पाल सिंह
अवर अभियन्ता
रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर /
आवास विकास
कालौनी 32/7

1) श्रेणी परिवर्तन: 1433क0 आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय सदर रामपुर वाद सं० T202513590110195 आदेश दि० 06.09.2025 के क्रम में श्रीमान तहसीलदार महोदय सदर रामपुर के युक्तिमान आदेश दि० 06.09.2025 के अनुसार आदेश हुआ कि जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3639/डी०एल०आर०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर आदेश पारित किया जाता है ग्राम बड़पुरा थर्का के गाटा संख्या 3/0.0340हे०, गाटा संख्या 4/0.0380हे०, गाटा संख्या 9/0.0750हे०, गाटा संख्या 16/0.0130हे०, गाटा संख्या 32/0.0530हे०, गाटा संख्या 36/0.0230, गाटा संख्या 41/0.0170हे० कुल रकवा 0.2530 हे० पर मूल/नरुअ/चकानार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम ताशका के गाटा संख्या 467/0.0978हे०, गाटा संख्या 473/0.1377हे०, गाटा संख्या 474/0.0045हे० कुल रकवा 0.2400हे० पर रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालौनी 32/7 के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर मूल/नरुअ/चकानार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है। ह०र०क०/06.09.2025।hansp.प०न००८११३५९ डिजिटल हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 06-09-2025)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) वंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) वंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))



पृष्ठ 1

क-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा वैक का नाम/कोड/वधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/जातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (गुण्ड (गाटा) के बाद प्रस्त /विक्रय /पू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर वित्तक करें।

Disclaimer: उक्त ऑफ़े मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तत्सील कम्प्यूटर केन्द्र एवन सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रत





भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

भूलेख

Hindi

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:19:48 AM

जनपद : रामपुर

तहसील : सदर

ग्राम : बड़पुरा थर्का

ग्राम कोड : 116956

फससी वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

खाता संख्या : 00253

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संकमपीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6- 9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जात का आधार	(4) वर्ष	(5) कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (भूलेख (गाटा) के बाद प्रस्त / विक्रय भू-वश्या / गामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर किरक करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
9	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालौनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / T202513590110195 / 06- 09-2025 / विनिमय	1433फ0	9 (1169569000000012)	0.0750	1)-	1) 0.0750	0.00
							0.0750	



कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य सात पांच शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य सात पांच शून्य (हेक्टेयर)

पते / परिवर्तन का विवरण

खासियत किया गया

मूल्य

दर्ज किया गया

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
कंप्यूटर का नाम / कम्प्यूटरीकृत बाट संख्या अथवा अदेश संख्या / अदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (एदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पृथकीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पृथकीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)

1) राजस्व म्यापातय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / T202513590110195 / 06-09-2025 / विनिमय / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 06-09-2025

1.1) ---/---/--- (: 0.00000)

9 (1169569000000012)

1.1) 0.0750

1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7

9 (1169569000000012)

1.1) 0.0750

(17) भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन राजस्व बाट की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/ बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व अदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (मुखंड गाटा) के बाट प्रसा /विक्रय /पू-नवशा /नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एडम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।



Content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रतिलिपि





भूलेख - खतीनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

उद्घरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:20:35 AM

जनपद : रामपुर तहसील : सदर ग्राम : बड़पुरा शर्की
ग्राम कोड : 116956 फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) खाता संख्या : 00245

श्रेणी : 1-क/नूनि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीव का आधार	(4) वर्ष	(5) भूमि का विवरण कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (नूड्ड गाटा) के बाद प्रसा / विक्रय/भू-नक्शा/नामांतरण बही 1 हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) खातेदार का अंश क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
16	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जनदीश पाल सिंह अतर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिद-री रामपुर / अतः विकास कारीनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / T202513590110195 / 06-09-2025 / विनिम्न	1433फ0	16 (1169561600000012)	0.0130	1) -	1) 0.0130	0.00

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक तीन शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक तीन शून्य (हेक्टेयर)



पति / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

पुलिस

दर्ज किया गया

संस्था का नाम / कम्प्यूटरीकृत
बाद संख्या अथवा अदेश संख्या /
अदेश का दिनांक / नामान्तरण का
आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर
दिनांक

(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का
नाम / जाति कोड / आधार नं०
(अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-
9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि
(अवयस्क हेतु)

(12) गाटे का खसरा नम्बर /
पूनीक कोड

(13) क्षेत्रफल(हे०)

(14) नाम/पिता-पति-
संरक्षक-प्रबंधक का
नाम / जाति कोड /
आधार नं० (अन्तिम
चार अंक) अथवा
पैन नं० (6-9 स्थान
के अंक) / पता /
जन्मतिथि
(अवयस्क हेतु)

(15) गाटे का खसरा नम्बर /
पूनीक कोड

(16) क्षेत्रफल(हे०)

1) राजस्व न्यायालय (उप जिला
अधिकारी, तहसील स्तर) /
72025:3590110195 / 06-09-2025
/दिनाम / DILEEP KUMAR
SAXENA 0 / 06-09-2025

1.1) ---/---/--- (: 0.0000)

16 (1169561600000012)

1.1) 0.0130

1.1) रामपुर विकास
प्राधिकरण द्वारा /
जगदीश पाल सिंह
अवर अभियन्ता
रामपुर विकास
प्राधिकरण रामपुर /
आवास विकास
कालौनी 327

16 (1169561600000012)

1.1) 0.0130

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (पूछंड (गाटा) के वाद प्रसन्न/विक्रय/भू-नक्शा/नामान्तरण वही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, वहसिल कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी./लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।



सूचना
content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रतिलि





भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

भूलेख

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:21:52 AM

वनपद : रामपुर

तहसील : सदर

ग्राम : बड़पुरा शर्की

ग्राम कोड : 116956

फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

खता संख्या : 00247

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संकनजीय भूमिपरी के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खातेदार का अंश				
(2) खतार/ गाटा सख्या नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जननिधि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) कृपया उक्त खसरे की प्रशस्ति (नूड (गाटा) के वाद प्रस्ता / विकल्प / भू-नक्शा / जमातारण बली) हेतु खसरा संख्या पर किरक करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
32 1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / उत्तर विकास कार्यालय 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सर) / T202513590110195 / 06-09-2025 / विनिमय	1433फ०	32 (116956320000001?)	0.0530	1) -	1) 0.0530	0.00



0.0530

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : भूम्य दशमलव भूम्य पांच तीन भूम्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व : भूम्य दशमलव भूम्य भूम्य रूपये कुल अंश का क्षेत्रफल : भूम्य दशमलव भूम्य पांच तीन भूम्य (हेक्टेयर)

निर्धारण / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

भूखंड

दर्ज किया गया

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
आधार का नाम / कम्प्यूटरीकृत बाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6- 9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)
1) राज्य म्यापल (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / T202513590110195 / 06-09-2025 / दिनेश्वर / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 06-09-2025	1.1) ---/---/--- (: 0.0000)	32 (1169563200000012)	1.1) 0.0530	1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश माल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालौनी 32/7	32 (1169563200000012)	1.1) 0.0530

अप्रमाणित प्रतिलिपि

(17) भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन राजस्व बाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(19) अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:



कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (भूखंड (गाटा) के बाद प्रस्ताव/विक्रय/भू-नक्शा/नामान्तरण बही) हेतु खसरा संख्या पर विक्रय केन्द्र के
Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनीय हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी./लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रामाणिकता नहीं है।

ive content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil
Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रतिलिपि





भूखंड - खतीनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:22:40 AM

जनपद : रामपुर

ग्राम कोड : 116956

तहसील : सदर

फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

ग्राम : बड़पुरा सर्की

खाला संख्या : 00249

नैजी : 1-क/भूमि जो संकल्पनीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खतदार का विवरण	खतदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खतदार का अंश
(1) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (2) व्यक्तिगत या अंका अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत याद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष (5) कृषिगत उत्पन्न खतरे की प्रकृति (शुद्ध गाद) के बाद प्रसू / विकल्प P.N. नक्शा / नामांतरण बही) हेतु खतारा संख्या पर हस्तिक करे।	(6) गाद का कुल क्षेत्रफल(हे०) (7) हिस्से में (8) क्षेत्रफल में(हे०) (9) खतदार द्वारा देय भू-राजस्व
36 1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर, अवास विकास कार्रवाई 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सरा) / T202513590110195 / 06-09-2025 / विनिमय	36 (1169563600000012)	0.0230 1) - 1) 0.0230 0.00

कुल गाद : एक कुल क्षेत्रफल : भू-राजस्व दशमलव भू-राजस्व दो तीन भू-राजस्व (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : भू-राजस्व दशमलव भू-राजस्व दो तीन भू-राजस्व रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : भू-राजस्व दशमलव भू-राजस्व दो तीन भू-राजस्व (हेक्टेयर)



परिवर्तन का विवरण

जारीय किया गया

भूखंड

दर्ज किया गया

कम्प्यूटर का नाम / कम्प्यूटीकृत बाट संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (एदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पृनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पृनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / T202513590110195 / 06-09-2025 / विनिमय / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 06-09-2025	1.1) ---/---/--- (: 0.00000)	36 (1169563600000012)	1.1) 0.0230	1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अधिवक्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	36 (1169563600000012)	1.1) 0.0230

(17) भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन राजस्व बाट की कम्प्यूटीकृत संख्या
 (18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/ बैंक का दिनांक/पनाशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनाशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(19) अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (पुखंड गाटा) के बाद प्रस्त विषय /पु-नक्शा /नामान्तरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।



Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

आप्रसाहित प्राप्ति





Mandi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:23:07 AM

बनवट : रामपुर

तहसील : सदर

ग्राम : बड़पुरा थर्की

ग्राम कोड : 116956

फसली बर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023)

खाता संख्या : 00251

ब्रेन्दी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाट संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) भूमि का विवरण कुपया उक्त खसरे की प्रकृति (भूखंड (गाँव) के वाट प्रस्ता / विक्रम/भू-नक्शा/गामांतरण नही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।	(6) गाँव का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) खतोदार का अंश क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतोदार द्वारा देय भू-राजस्व
41	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अवर अभियन्ता रामपुर, विकास प्राधिकरण रामपुर / अवास विकास कारौनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सर) / T202513590110195 / 06-09-2025 / विनिमय	1433फ०	41 (1169564100000012)	0.0170	1-	1) 0.0170	0.00

कुल गाँव : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक सात शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक सात शून्य (हेक्टेयर)



परिवर्तन का विवरण

स्थिर किया गया

शुद्ध

दर्ज किया गया

	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
आधार का नाम / कम्प्यूटरीकृत बाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (उद-नाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6- 9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / पूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)

1) राजेश न्यायालय (उप जिला
अधिकारी, तरसीत सर) /
T202513590110195 / 06-09-2025
/ दिनांक / DILEEP KUMAR
SAXENA 0 / 06-09-2025

1.1) ---/---/--- (: 0.0000)

41 (1169564100000012)

1.1) 0.0170

1.1) रामपुर विकास
प्राधिकरण द्वारा /
जगदीश पास सिंह
अवर अभियन्ता
रामपुर विकास
प्राधिकरण रामपुर /
आवास विकास
कालोनी 32/7

41 (1169564100000012)

1.1) 0.0170

अप्रमाणित प्रति

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :



कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (भूखंड (गाटा) के बाद प्रस्त/विक्रय/पू-नक्शा/नामान्तरण वाली) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तरसीत कम्प्यूटर केन्द्र एम सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
https://upds.in.gov.in/udsrn_khasra

2016 दिनांक 06 07 2020 मा किय गया द 14444 शाही शाहनवाज कानून नम्बर 14444

Content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distinct portal/CSC/TeHSil
Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रामाणिक प्रतिलिपि



उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 02:38:56 PM

लक्ष्मीनगर : सहर

फसली वर्ष : 1425-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : मसड़ी

खता संख्या: 00243

जनपद : रामपुर

खता क्रमांक : 116913

नोट : 1. कृ.पू.वि. जे. संकल्पनाय भूमिपती के अधिकार में ही।

खता संख्या	खतदार का विवरण	खतदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खतदार का अंश	
168सि	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जमादीया पाल सिट्ट अदर अंशिमन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कार्यालयी 32/7	1) राजस न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सहर) / 7202513590110201 / 06-09-2025 / विनिमय	1433फ0 168सि (1169131680000012)	0.0090	1) 0.0090
0.0090				0.00	

कृपया उक्त खतरे की प्रतिलिपि (116913 संख्या) के खतदार / किसान/भू-संस्था/सामान्य बर्तरी हेतु खतदार संख्या पर लिखिक करें।

कुल मातः एक कुल क्षेत्रफल : भूमि दायमताव भूमि भूमि नै भूमि (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : भूमि दायमताव भूमि भूमि रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दायमताव भूमि भूमि नै भूमि (हेक्टेयर)



मान्यता / परिवर्तन का विवरण

जारीय किया गया

दर्ज किया गया

व्यव का नाम / कम्प्यूटरीकृत बाद संख्या का आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / मान्यता का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

(11) नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रबंधक का नाम / जर्मि कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा देन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जर्मिनिधि (अवश्यक हेतु)

(12) गाटे का खसता नम्बर / प्लोकी कोड

(13) क्षेत्रफल(हे०)

(14) नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रबंधक का नाम / जर्मि कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा देन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जर्मिनिधि (अवश्यक हेतु)

(15) गाटे का खसता नम्बर / प्लोकी कोड

(16) क्षेत्रफल(हे०)

1) राजस्व न्यायालय (जय जिला अधिकारी, लुधियाना) / T202513590110201 / 06-09-2025 / विनिमय / DILEEP KUMAR SAXENA D / 07-09-2025

1 1) ---/---/--- (: 0 0000)

166नि
(1169131690000012)

1 1) 0.0090

1 1) रामगुरु विकास प्रतिकरण द्वारा / जर्मिनिधि पाल सिंह अवर अहिन्दनी रामगुरु विकास प्रतिकरण रामगुरु / अवरस विकास कारोबारी 3277

166नि
(1169131690000012)

1 1) 0.0090

(17) भूमि के सम्बन्ध में विद्यमान राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पनरशि/अवदेन संख्या/खतद्वारा विना-पति-संबंधक)

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनरशि/अवदेन संख्या/खतद्वारा विना-पति-संबंधक):

(19) आयुक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त सफर की प्रतिलिपि (पुस्तक (गाटा) के बाद प्रसू / विषय / नु-नका / नामांतरण वाली) हेतु संस्था संस्था पर भिन्नक करें।

Disclaimer: उक्त ऑफरडे मात्र अनुरोध-वर्ण है। उक्त विवरण अद्यतन है। तदनुसार कम्प्यूटर केन्द्र एम सी एस सी/लोकजनी केन्द्र से उद्धारण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





भूखंड - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

पृष्ठ संख्या : 3/24

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 02:39:31 PM

बनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116913

सहस्रीत : सरत
फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : फरकी
खाला संख्या : 00244

बेनी : 1-क/भूमि जो संकमपीय भूमिपती के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जगति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैग नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयव संकेत)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत बाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जॉन का आधार	(4) शर्त	भूमि का विवरण	(6) गाटा का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व
236	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाट सिंह अथर अंशान्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अन्वयत विकास कालोनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप विवा अधिकारी, तहसील सरत) / T202513550110201 / 06-09- 2025 / विनिगम	1433क0	ग्रामा उका खतौ की फरकी (दुखत (गाटा) के बाद अंश / विशेष भू-राजस्व / न्यायालय बली) हेतु खतौ संख्या पर विचार की	0.0300	1) -	1) 0.0300	0.00
					0.0300		0.0300	

कुल गाटा : एक कुल क्षेत्रफल : भूमि दशमालव भूमि तीन भूमि भूमि (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व : भूमि दशमालव भूमि भूमि रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दशमालव भूमि तीन भूमि भूमि (हेक्टेयर)



समाप्ति/परिचय का विवरण

कार्य किया गया

दर्ज किया गया

नाम का नाम / कम्प्यूटीकृत घाट संख्या
कोड / आधार का दिनांक /
समाप्ति का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति
कोड / आधार नं० (अन्तिम घाट अंक) अथवा पैन
नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / वर्णमाला
(अवसरक हेतु)

(12) गाटे का खासा नम्बर /
प्रीक कोड

(13) क्षेत्रफल(हे०)

(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-
प्रबंधक का नाम / जति
कोड / आधार नं० (अन्तिम
घाट अंक) अथवा पैन नं०
(6-9 स्थान के अंक) / पता
/ वर्णमाला (अवसरक हेतु)

(15) गाटे का खासा नम्बर /
प्रीक कोड

(16) क्षेत्रफल(हे०)

1) राज्य स्थान (उप विभाग अधिकारी, तहसील
कोड) / 202513550110201 / 06-09-2025 /
दिनांक / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-
2025

1.1) ---/---/--- (: 0.0000)

236
(116913236000012)

1.1) 0.0300

1.1) रामपुर विभाग
प्रतिकरण द्वारा / जति
घाट सिद्ध अथवा अन्तिम-
रामपुर विकास प्रतिकरण
रामपुर / आवास विभाग
जालौनी 327

236 (116913236000012)

1.1) 0.0300

(17) पृष्ठ के सम्बन्ध में विचारणीय राय का कम्प्यूटीकृत संख्या

(18) शपथ/शपथ-पत्र होने की स्थिति

(18.1) शपथ होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/शपथ का दिनांक/पनरथि/अवधि/खतबंद/पिता-पति-संरक्षक)

(18.2) शपथ-पत्र होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/शपथ-पत्र का दिनांक/पनरथि/अवधि/खतबंद/पिता-पति-संरक्षक):

(19) अनुमति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रतिलिपि (यूएस जीएस) के घाट प्रदाता/विकास/प्राप्तिकरण वाली/ हेतु खासा संख्या पर विकसित करें।

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन मातृ अद्यतनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केंद्र एवम सी एस सी/लोकवाणी केंद्र से उद्योग की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Rajshil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





भूखंड - खतौनी
राजसव परिषद, उत्तर प्रदेश

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रत)
07/September/2023 03:14:42 PM

जनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116913

तहसील : खटर
फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : गहड़ी
खाल संख्या : 00255

श्रेणी : 1-क/भूमि जो सामान्यीय भूमिपरी के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/विला-वति-सरभक-प्रबंधक का नाम / व्यक्ति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / फटा / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जात का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (पुनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
252नि	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अथवा अनियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आधार संख्या कतौनी 3277	1) राजसव न्यायालय (उप विला अधिकारी, लखौरी संतरी) / T202513590110196 / 06-09- 2025 / विनिमय	1433फ0	252नि (1169132520000012)	0.0220	1) -	1) 0.0220	0.00
0.0220								

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : मूल दखनलख मूल दो दो मूल (द्विपद)

कुल भू-राजसव : मूल दखनलख मूल मूल रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : मूल दखनलख मूल दो दो मूल (द्विपद)



नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

आरिच किया गया

दर्ज किया गया

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

नामान्तरण का नाम / कम्प्यूटरीकृत शब्द संख्या
अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक /
नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(वदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

नाम/विना-यति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / यति
कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा दिन
नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि
(अवयस्क हेतु)

गाटे का खसरा नम्बर /
प्रीतिक कोड

क्षेत्रकोड(हे०)

नाम/विना-यति-संरक्षक-
प्रबंधक का नाम / यति
कोड / आधार नं०
(अन्तिम चार अंक) अथवा
दिन नं० (6-9 स्थान के
अंक) / पता / जन्मतिथि
(अवयस्क हेतु)

गाटे का खसरा नम्बर /
प्रीतिक कोड

क्षेत्रकोड(हे०)

1) रावबल न्यायलय (उम) जिला अधिकारी, लखीम
सरो / T202513590110196 / 06-09-2025 /
दिनांक / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-
2025

1.1) ---/---/--- (: 0.0000)

252दि
(1169132520000012)

1.1) 0.0220

1.1) रामपुर बिकरा
प्रतिकरण द्वारा / जगदीश
पार सिंग अवर अधिकारी
रामपुर बिकरा प्रधिकरण
रामपुर / आवास बिकरा
कालीनी 327

252दि
(1169132520000012)

1.1) 0.0220

(17) भूमि के सम्बन्ध में विगाराधीन रावबल शब्द की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (सत्या अथवा शैक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/आवेदनदिना-यति-संरक्षक)

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (सत्या अथवा शैक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/आवेदनदिना-यति-संरक्षक):

(19) अपयुक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त सचने की प्रतिलिपि (एरिडेंट पोस्ट) के बाद प्रसा/विजय/पु-नया/नामान्तरण बही) हेतु सरास संस्था पर बित्तक करें।

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, लखीम कम्प्यूटर केंद्र द्वारा सीएस/लखवाणी केंद्र से उद्योग की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distinct portal/CSC/Rehal Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





भूखंड - खतीनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

07/September/2025 03:16:00 PM

बनारस : रामपुर
ग्राम कोड : 116913

तहसील : बहर
फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 20:18 से 30 जून, 2024)

ग्राम : फरली
खता संख्या : 00256

बेबी : 1-क/मुनि जो संजयगीर भूमिदाता के अधिकार में है।

खसरा/सबका	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खातेदार का अंश				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
256नि	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / बालि कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / बन्धनविधि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत चार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	वर्ष	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व	
	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अदालत विकास कार्यालय 32/7	1) राज्यस न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सार) / T202513590110196/05-09-2025 / विनिम्न	1433फ०	256नि (1169132560000012)	0.0030	1) -	1) 0.0030	0.00
								0.0030

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : पूरा दखमालद पूरा पूरा तीन पूरा (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : पूरा दखमालद पूरा पूरा रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : पूरा दखमालद पूरा पूरा तीन पूरा (हेक्टेयर)



नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

खरीब किया गया

दुर्ब किया गया

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
नामान्तरण का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम वाद अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रवा(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम वाद अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रवा(हे०)
1) रावस नामान्तरण (उम दिता अधिकारी, वहीसील सरी / 1202313590110196 / 06-09-2025 / दिनिमप / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-2025	1. 1) ---/---/--- (: 0.0000)	256मि (1169132560000012)	1. 1) 0.0030	1. 1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अलास विकास कारिनी 32/7	256मि (1169132560000012)	1. 1) 0.0030

(17) भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन रावस वाद की कम्प्यूटीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पनवाशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनवाशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(19) अपयुक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (पुखंड (गाट) के बाद प्रसा /विक्रय /पू-नक्शा /नामान्तरण वाली) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन अवरलानाई है. उक्त विवरण अद्यतन है. वहीसील कम्प्यूटर केंद्र (एम सी एस सी/लोकवाणी केंद्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required for Certified copy. apply through e-district portal/CSC/Rehsl Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



जनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116913

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)
07/September/2025 03:15:35 PM

तहसील : सदर
फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पहाड़ी
खाना संख्या : 00216

बेबी : 1-क/पूदि जो संकमणीय भूमिपदों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण

खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

भूमि का विवरण

खातेदार का अंश

खसरा/
गाटा
संख्या (2) नाम/पिता-पति-सरक्षक-प्रबंधक का नाम /
व्यक्ति कोड / आधार नं० (अनिम या अक)
अथवा देन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता /
जनविधि (अवसरक हेतु)

(3) न्यायालय का नाम / कम्यूटीकृत
वाद संख्या अथवा आदेश संख्या /
आदेश का दिनांक / जीत का
आधार

(4) वर्ष

कृपया उक्त अंश को प्रसिद्धि
(मुहर लगाए) के बाद दावा /
क्रिया भू-तलक/जामातदार दही
1 हेतु खतौनी संख्या पर क्रिया
करें।

(6) गाटे का कुल
क्षेत्रफल (हे०)

(7) हिस्से में

(8) क्षेत्रफल में (हे०)

(9) खातेदार द्वारा दिये
भू-सब्स

269 1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल
सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण
रामपुर / अवस विकास कार्या 32/7

1) राजस्व न्यायालय (जप बिना
अधिकारी, तहसील सदर /
R202513590110196 / 06-09-
2025 / दिनांक

269 (1169130269000012)

0.0130

1) -

1) 0.0130

0.00

0.0130

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : भूम्य दशमलव भूम्य एक तीन भूम्य (हेक्टर)

कुल भू-सब्स : भूम्य दशमलव भूम्य भूम्य रूपसे

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूम्य दशमलव भूम्य एक तीन भूम्य (हेक्टर)



नामानसंस्था / परिवर्तन का विवरण

(10)

नामानसंस्था का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या
अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक /
नामानसंस्था का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(सद-नाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

कार्य विभागा गण

(11)

नाम/दिना-यति-संस्थाक-प्रत्यक्ष का नाम / जगति
कोड / आधार नं० (अंतिम पाठ अंक) अथवा धेन
नं० (६-९ स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि
(अवतरक हेतु)

(12)

गाद का खसरा नम्बर /
पूनीक कोड

(13)

क्षेत्रफल (हे०)

द्वन्द्व विभागा गण

(15)

गाद का खसरा नम्बर /
पूनीक कोड

(16)

क्षेत्रफल (हे०)

1) संवत्स न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तराईत
सदर) / 1202513590110196 / 06-09-2025 /
डिजिटल / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-
2025

1.1) संख्यागां / . (: 0.00000)

269
(1169130269000012)

1.1) 0.0130

269 (11691302695000012)

1.1) 0.0130

1.1) रामपुर विकास
प्राधिकरण द्वारा / जनपदीय
पाल सिंह अवर अधिवचना
रामपुर विकास प्राधिकरण
रामपुर / अनागत विकास
कालोनी 327

1) क्षेत्र परिवर्तन 1433एन० आदेशानुसार शीतल उपपट्टिकाकारी नरोत्तम सरदर रामपुर गाद गा० 1202513590110196 आदेश दि० 06.09.2025 के क्रम में शीतल तहसीलद्वारा सवदर रामपुर के पुर्याकन आदेश दि० 06.09.2025 के अनुसार आदेश
द्वारा कि विपट्टिकाकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कर्नालय आदेश संख्या 3540/डीएन/आर/अ/अ/०२/२०२५, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विधिगत व शैली परिवर्तन के आधार पर ग्राम पंचायती तहसील सदर जिला रामपुर सिविल गाद संख्या
252/० 02220हे०, 256/० 00320हे०, 269/० 0130हे०, 281/० 0710हे०, 326/० 00720हे०, 328/० 0660हे०, 329/० 0740हे०, 340/० 0650हे०, 348/० 0480हे०, 351/० 0280हे०, 355/० 00530हे०, 356/० 00650हे० कुल 12 जिला संख्या 0.4660 हे० वर्कनामों के
रूप में दर्ज अधिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनपदीय पाल सिंह/अवर अधिवचना रामपुर विकास कालोनी 327 का नाम दर्ज अधिलेख किया जाता है तथा ग्राम पंचायती के गाद संख्या
248/० 0772हे०, 349/० 1280हे०, 345/० 26080 संख्या 0.4660 हे० पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनपदीय पाल सिंह/अवर अधिवचना रामपुर विकास कालोनी 327 का नाम दर्ज अधिलेख है, के स्थान पर
दर्कनामों के रूप में दर्ज अधिलेख किया जाता है। (डिजिटल हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 07-09-2025)

(17) धुने के संवत्स में विवरणशील राखल बाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) वधक/वधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) वधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वधक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खानेदार(दिना-यति-संस्थाक))

(18.2) वधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खानेदार(दिना-यति-संस्थाक)) :

(19) अनुपत्ति :

पुर्ण अंतर्द्वारा का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रतिलिपि (सूक्ष्म गणतंत्र के बाद मसल/विक्रम/मू-नाक्या/गणतंत्रण बही) हेतु खसरा संख्या पर लिखकर

Disclaimers: उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अपडेट है। तहसील कम्प्यूटर केंद्र, एचएम सीएलसी/वीकेपी केंद्र से उद्धरण की प्रतिलिपि प्रदान की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through district/jurisdictional/CSC/Resil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



Hindi

उत्तरण खतीनी (अप्रमाणित प्रती)

07/September/2025 02:32:23 PM

बनपद : रामपुर

तहसील : खर

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : गहड़ी

खता संख्या : 00216

श्रेणी : 1-क/दूधि की संकमपीय भूमिधरी के अधिकार में हो।

खतिदार का विवरण	खतिदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खतिदार का अंश
खसरा/ संख्या (2) ना./विला-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / आदि कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंका) अथवा प्लन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / उपमितिधि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / काम्युटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जात का आधार	(4) वर्ग (5) गाटा (धुनीक कोड) (6) गाटा का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में (8) क्षेत्रफल में(हे०) (9) खतिदार द्वारा देय भू-राजस्व
274 1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा /उपरोक्त पाल सिंह अवर अभियंता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप विवा अधिकारी, तहसील खर) / T2025135901 10262 / 06-09- 2025 / विनिम्न	274 (1169130274000012) 0.1580	1) 0.1580 0.00
		0.1580	

कुल गाटा : एक कुल क्षेत्रफल : भूमि दशमलव एक पांच आठ दस हिस्से में

कुल भू-राजस्व : भूमि दशमलव भूमि दस रूपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दशमलव एक पांच आठ दस हिस्से में



महानगर / परिवहन का विवरण

आयिक विषय गण

दर्द विषय गण

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
महानगर का नाम / कम्प्यूटीकृत बार्ड संख्या / अथवा अन्देश संख्या / अन्देश का दिनांक / महानगर का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (परनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रबंधक का नाम / पते का खसरा नम्बर / पत्नीक कोड	शेराफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रबंधक का नाम / पते का खसरा नम्बर / पत्नीक कोड	शेराफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रबंधक का नाम / पते का खसरा नम्बर / पत्नीक कोड	शेराफल(हे०)

1) स्वयं महानगर (यदि विना अधिकारी, एड्रेस संख्या / T20251359011:0202 / 06-09-2025 / दिनांक / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-2025

1.1) एकनाम / . (: 0.0000)

274 (1169130274000012)

1.1) 0.1580

1.1) रामगु विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अर्द्ध अभियन्ता रामगु विकास प्राधिकरण रामगु / आवास विकास कारोबी 32/7

1.1) 0.1580

1) स्वयं परिवहन 1433था0 अर्द्धनामुकर श्रीमान उपविभागीयकारी महोदय सदर रामगु बार्ड सं0 T20251359011:0202 अन्देश दि0 06.09.2025 के क्रमा से श्रीमान तहसीलदार महोदय सदर रामगु के पुर्णकन अन्देश दि0 06.09.2025 के अनुसार अन्देश हुआ कि विभागीयकारी महोदय, रामगु द्वारा जारी कार्यालय अन्देश संख्या 364/तहसीलदार0अन्देश02025, दिनांक 04.09.2025 के अनुसार से विभागीय व श्रेणी परिवहन के आधार पर ग्राम पहाडी तहसील सदर विला रामगु विला अन्देश संख्या 274/0.1580हे०, 280/0.0230हे०, 290/0.0540, 311/0.0480हे०, 323/0.1260हे०, 334/0.0240हे० कुल 07 किता रकबा 0.4710 हे० को एकनाम/पता/नरुआ के रूप में दर्द अभिलेख है के स्थान पर रामगु विकास प्राधिकरण द्वारा जारीया पाल सिंह/अर्द्ध अभियन्ता रामगु विकास प्राधिकरण रामगु/ आवास विकास कारोबी 32/7 का नाम दर्द अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पहाडी तहसील सदर विला रामगु विला अन्देश संख्या 349 नि०/0.4130हे०, 354 नि०/0.0580 हे० कुल रकबा 0.4710 हे० में से 349नि० रकबा 0.1580हे० एकनाम, 349नि० रकबा 0.1260हे० नरुआ एवं 349नि० रकबा 0.1290हे० व 354नि० रकबा 0.0560हे० कुल के स्थान में दर्द अभिलेख किया जाता है। एड्रेस संख्या 09.2025Bnbspr-पा0-10Bnbspr 1348 डिजिटल हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 07-09-2025)

- (17) भूमि के सम्बन्ध में विद्यमान तारस बार्ड की कम्प्यूटीकृत संख्या
- (18) वपक/वपक-मुक्त होने की स्थिति
- (18.1) वपक होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/वपक का दिनांक/परनाम/अर्द्धन संख्या/आवेदन(पिता-पति-संबंधक))
- (18.2) वपक-मुक्त होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/वपक-मुक्त का दिनांक/परनाम/अर्द्धन संख्या/आवेदन(पिता-पति-संबंधक)):

(19) अभ्युक्ति:
पूर्व आंदेयों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रतिलिपि (गुण्डड गाल) के बाद प्रसन्न/विक्रय/पू-नरुआ/नामांतरण वही) हेतु खसरा संख्या प्रकृतिका को प्रकृतिका के माध्यम से अद्यतन किया जा सकता है।
Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distinct portal/CSC/Nehal Computer Centre.
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



उद्घरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 02:33:25 PM

वर्षातील : थर

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पहाडी

खाला संख्या : 00211

हेवी : 1-क/एडि के संक्रमणीय भूमिपरी केअधिकार में ही।

खतदार का विवरण	खतीवारी प्रारम्भ होने का विवरण .	भूमि का विवरण	खतदार का अंश
(2)	(3)	(4)	(5)
<p>खाला/ गाटा/ लखन</p> <p>(2) नन्दलाल-पति-सरधक-प्रबधक का नाम / जाति कांड / आधर नं0 (अन्तिम धार अंका) अपना देन नं0 (6-9 स्थान के अंका) / पता / जनमतिथि (अवरक हेतु)</p>	<p>(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरी कर वद संख्या अवला आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीत का आधार</p>	<p>(4) वर्ष</p>	<p>(5) गाटा (पुरीक कोड)</p>
<p>280</p> <p>1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जनदीया पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कार्यानी 32/7</p>	<p>1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सर) / T202513590110202 / 06-09-2025 / विनिगम</p>	<p>280 (116913028000012)</p>	<p>(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे०)</p> <p>0.0230</p>
		<p>(7) हिस्से में</p> <p>11 -</p>	<p>(8) क्षेत्रफल में (हे०)</p> <p>1) 0.0230</p> <p>0.0230</p>
			<p>(9) खतदार द्वारा देन भू-राजस्व</p> <p>0.00</p>

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : भूदा दशमलव भूदा दो तीन शून्य (दिकेपर)

कुल भू-राजस्व : भूदा दशमलव भूदा भूदा रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूदा दशमलव भूदा दो तीन शून्य (दिकेपर)



आधार / परिवर्तन का विवरण

वर्तमान किया गया

द्वितीय किया गया

आधार का नाम / कम्प्यूटीकृत याद संख्या
अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक /
नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

(111)
नाम/दिना-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जगदि
कोठ / आधार नं० (अभिन्न धार अंक) अथवा पैन
नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि
(अथवा एक हेतु)

(112)
गाँव का खसरा नम्बर /
पूरीक कोड

(113)
क्षेत्रफल (हे०)

(114)
नाम/दिना-पति-संरक्षक-
प्रबंधक का नाम / जगदि
कोठ / आधार नं० (अभिन्न
धार अंक) अथवा पैन नं०
(6-9 स्थान के अंक) / पता
/ जन्मतिथि (अथवा एक हेतु)

(115)
गाँव का खसरा नम्बर /
पूरीक कोड

(116)
क्षेत्रफल (हे०)

1) राज्य संस्थापन (एन डिना) अतिकारी, तहसील
सरा / T202513590110202 / 06-09-2025 /
डिजिटल / DILEEP KUMAR SAXENA (1) / 07-09-
2025

1,1) गूण / (: 0.0000)

280
(1169130280000012)

1,1) 0.0230

1,1) रामपुर विकास
प्रतिकरण द्वारा / जगदीश
पाल सिंह अत्र अधिवक्ता
रामपुर विकास प्रतिकरण
कालोनी 32/7

280 (1169130280000012)

1,1) 0.0230

1) श्रेणी परिवर्तन: 1433था0 आदेशानुसार श्रौतान उपनिवेशिकाधी महीधर सरदार रामपुर वाद नं० T202513590110202 आदेश दि० 06.09.2025 के अंतर्गत तहसीलदार महेंद्रधर सरदार रामपुर के पुरािकान आदेश दि० 06.09.2025 के अनुसार आदेश हुआ कि डिजिटिकारी महीधर रामपुर द्वारा जारी कर्मादेश आदेश संख्या 36.4/डी०ए०/आ०/सी०/२०२३, दिनांक 04.09.2025 के अनुसार मं. डिजिटल व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम पंचाधी तहसील सरदार बिल रामपुर बिल आदेशी खसरा संख्या 274/०.1580हे०, 280/०.0230हे०, 290/०.054०, 311/०.046०हे०, 323/०.1260हे०, 344/०.0380हे०, 341/०.0240हे० कुल 07 बिना रकबा 0.4710 हे० जो दकाना/गुड/बकाना के रूप में दर्ज अतिरिक्त है, के स्थान पर रामपुर विकास प्रतिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अत्र अधिवक्ता रामपुर विकास प्रतिकरण रामपुर/आवास विकास कालोनी 32/7 का नाम दर्ज अतिरिक्त किया जाता है तथा ग्राम पंचाधी तहसील सरदार बिल रामपुर बिल आदेशी गाँव संख्या 349 नि०/०.4130हे०, 354 नि०/०.0580 हे० कुल रकबा 0.4710 हे० पर रामपुर विकास प्रतिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अत्र अधिवक्ता रामपुर विकास प्रतिकरण रामपुर/आवास विकास कालोनी 32/7 का नाम दर्ज अतिरिक्त है, के स्थान पर गाँव संख्या 349 नि०/०.4130हे०, 354 नि०/०.0580 हे० कुल रकबा 0.4710 हे० में से 349नि० रकबा 0.1580हे० तक नम्बर् 349नि० रकबा 0.1260हे० नम्बर् 349नि० रकबा 0.1290हे० व 354नि० रकबा 0.0580हे० गूण के रूप में दर्ज अतिरिक्त किया जाता है। ए०ए०/आ०/०६.०९.२०२५/आ०/सी०/आ०/१३४८ डिजिटल हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 07-09-2025।



(17) भूमि के संख्या में विचाराधीन राखल वाद की कम्प्यूटीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (लेखा अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धरताधि/आवेदन संख्या/आवेदक (पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (लेखा अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धरताधि/आवेदन संख्या/आवेदक (पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अन्यथा :

पूर्व आवेदों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रतिलिपि (पुस्तक (गाँव) के वाद प्रशा /विक्रय /पुनर्प्राप्ति /नामान्तरण वही) हेतु खसरा संख्या पर बिलक करे।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अद्यतन/अद्यतन हैं। उक्त विवरण अद्यतन है। तहसील कम्प्यूटर केंद्र (एन एम सी एस सी/तहसील) केंद्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required For Certified copy. apply through e-distinctportal/CSC/Rehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



Hindi

— 843 —

उद्धरण खातीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 03:17:08 PM

जनपद : रामपुर

ग्राम कोड : 116913

तहसील : सदर

फसली वर्ष : 1425-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पराडी

खाता संख्या : 00216

धेनी : 1-क/भूमि को संकमणीय भूमिगत के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जॉर्नल कोड / आधार नं० (अस्तित्व धार अंक) अपना पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत याद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जॉर्नल का आधार	(4) वर्ष	भूमि का विवरण	(5) गणना उक्त इतर की प्रतिके (पूरेक (गण) के बाद प्रस्त / शिफ्ट / प्र-नकाशा / नामांतरण वगैरे) हेतु खसरा संख्या एवं बिलक करी	(6) गेट का कुल क्षेत्रफल (हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
281	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जनदीया पाल सिंह अवर अधिभूतना रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर / T202513590110156 / 06-09-2025 / विनिमय		281 (1169130281000012)		0.0710	1) -	1) 0.0710	0.00
									0.0710

कुल गेट : एक

कुल क्षेत्रफल : भूमि दशमलव भूमि सात एक भूमि (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : भूमि दशमलव भूमि भूमि रूपमें

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दशमलव भूमि सात एक भूमि (हेक्टेयर)



(10)	स्वायत्त का नाम / कम्प्यूटीकृत चार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामाकरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (यदिना) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11)	नाम/दिना-वर्ति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / वर्ति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा धन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु)	(12)	गाटे का खसरा नम्बर / गाटे का वर्तमान नम्बर / प्रतीक कोड	(13)	क्षेत्रफल(हे०)	(14)	नाम/दिना-वर्ति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / वर्ति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा धन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु)	(15)	गाटे का खसरा नम्बर / प्रतीक कोड	(16)	क्षेत्रफल(हे०)
1)	सर्वसद न्यायलय (उप जिला अधिकारी, तहसील सारु / T202513590110196 / 06-09-2025 / डिजिटल / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-2025	1-1)	एकमार्ग/.. (: 0.00000)	281 (1169130281000012)	1-1)	0.0710	1-1)	सामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / अग्रदीय पाल सिंग अवर अभियन्ता सामपुर विकास प्राधिकरण सामपुर / अनास विकास कारोन्नी 3277	281 (1169130281000012)	1-1)	0.0710		

1) सर्वसद न्यायलय (उप जिला अधिकारी, तहसील सारु) द्वारा जारी कर्तव्य आदेश संख्या 364/जीओएच/आरसी/2025, दिनांक 04-09-2025 के अनुसार व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम पंचायत तहसील सारु जिला सामपुर सिविल गाटे संख्या 252/0 022000, 256/0 003000, 269/0 013000, 281/0 071000, 326/0 007000, 328/0 066000, 329/0 074000, 340/0 065000, 348/0 048000, 351/0 028000, 355/0 063000, 359/0 005000 कुल 12 किता रकवा 0.4650 हे० एकमार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर सामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पाल सिंग/अवर अभियन्ता सामपुर विकास कारोन्नी 3277 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पंचायत के गाटे संख्या 252/0 077200, 349/0 128000, 345/0 260800 रकवा 0.4650 हे० पर सामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पाल सिंग/अवर अभियन्ता सामपुर विकास प्राधिकरण सामपुर अनास विकास कारोन्नी 3277 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर एकमार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है। 8020च/06 09 2025&nbhp; 1352 डिजिटल हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 07-09-2025)

(17) धूमि के सम्बन्ध में नियन्त्रण राजस्व चार की कम्प्यूटीकृत संख्या

(18) सपक/सपक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) सपक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/सपक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/आवेदक(पिता-वर्ति-संरक्षक))

(18.2) सपक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/सपक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/आवेदक(पिता-वर्ति-संरक्षक)):

(19) अनुसूचित:

पूर्व आंटों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रतिलिपि (प्लस टाटा के चार भूखण्ड/विकल्प गू-नक्शा/नामाकरण वही), हेतु खसरा संख्या पर लिफाफे करें।

Disclaimer: उक्त ऑन लाइन अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धृत की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-sansing portal/CSS/Trasil Computer Centre

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





पुलेख - खतीनी
राजस्थान परिषद, उत्तर प्रदेश

Hand

उद्घरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/Serialnumber/2025 02:34:07 PM

तहसील : सदर

कसबी बर्ध : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पालडी

खाला संख्या : 00211

यनपद : रामपुर
पान कोड : 116913
बेनी : 1-क/भूमि जो संकनमीद भूमिपरी के अधिकार में ही।

खतीदार का विवरण	खतीदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खतीदार का अंश
(2)	(3)	(4)	(5)
<p>(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जमीन मालिक / आधार नं० (अभिज्ञान वार अंक) अधवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु)</p>	<p>(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वार संख्या अधवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार</p>	<p>(4) वार्ड</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>कृपया उका खतरे की प्रतिक्रिया (मसूदा फॉर्म) के बाद प्रकाश / विवरण / पैन-नंका / जन्मतिथि वही / हेतु खाला संख्या पर विचार करें।</p> </div>	<p>(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)</p> <p>(7) हिस्से में</p> <p>(8) क्षेत्रफल मेट्रि०</p> <p>(9) खतीदार द्वारा देय भू-राजस्व</p>
<p>290 1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अजर अधिवक्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आकाश विकास कारोनी 32/7</p>	<p>1) राजस्थान न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / T2025135590110202 / 06-09-2025 / विद्विगम</p>	<p>290 (1169130290000012)</p>	<p>0.0540 1) - 1) 0.0540 0.00</p>

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : मूल्य दशमालव मूल्य पांच वार मूल्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : मूल्य दशमालव मूल्य मूल्य रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : मूल्य दशमालव मूल्य पांच वार मूल्य (हेक्टेयर)





भारत - खेती
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

उद्धरण खेती (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 02:39:55 PM

जनपद : रामपुर

तहसील : रादर

ग्राम : पहाड़ी

ग्राम कोड : 116913

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

खाला संख्या : 00216

धेनी : 1-अ/भूमि को संक्रमणीय भूमिपत्री के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-ससहक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्यथा धर अंक) अधिका नैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अधिका आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / चाल का आधार	(4) वर्ष	भूमि का विवरण	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) खानेदार का अंश क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खानेदार द्वारा देय भू-राजस्व
291	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जनदीया पाल द्विह अवर अधिनियमा रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अजयस विकास कार्यानी 327/	1) राजल न्यायालय (देव किला अधिकारी, तहसील रादर) / 7202513590/10201 / 06-09- 2025 / विनिमय	291 (1169130291000012)	गुणमा उका खेत की प्रकृति (पुस्तक नाम) के बाद प्रका / विमान भू-राजस्व / जमानदार की 1 हेतु खेत का क्षेत्र मा किलक वर्ष।	0.0920	1/-	1) 0.0920	0.00
					0.0920		0.0920	

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : मूल्य दरमानावर मूल्य नौ दो मूल्य (दिकेपर)

कुल भू-राजस्व : मूल्य दरमानावर मूल्य मूल्य रूपसे

कुल अंश का क्षेत्रफल : मूल्य दरमानावर मूल्य नौ दो मूल्य (दिकेपर)



सामान्य / परिचय का विवरण

सार्वजनिक विभाग

दर्द किया गया

(10)

नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रत्येक का नाम / जन्म तिथि / आयु / पता / जन्म स्थान / पेशा / अन्य जानकारी

(11)

नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रत्येक का नाम / जन्म तिथि / आयु / पता / जन्म स्थान / पेशा / अन्य जानकारी

(12)

गाई का खसरा नम्बर / पत्ती का नम्बर

(13)

क्षेत्रफल(हे०)

(14)

नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रत्येक का नाम / जन्म तिथि / आयु / पता / जन्म स्थान / पेशा / अन्य जानकारी

(15)

गाई का खसरा नम्बर / पत्ती का नम्बर

(16)

क्षेत्रफल(हे०)

1. नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रत्येक का नाम / जन्म तिथि / आयु / पता / जन्म स्थान / पेशा / अन्य जानकारी

1.1) वर्कमा/... (: 0.0000)

291 (1169130291000012)

1.1) 0.0920

1.1) रामपुर विकास प्रधिकरण द्वारा/जननी पाल सिंह अवर अतिरिक्त रामपुर विकास प्रधिकरण रामपुर / अवास विकास कोलैनी 327/

291 (1169130291000012)

1.1) 0.0920

1) डॉ. वरिष्ठा 21390 अद्वैतपुर विकास प्रधिकरण रामपुर गाई नं० 120251390110201 अद्वैत डि० 06.09.2025 के अन्तर्गत आदेश द्वारा कि विचारणा नम्बर 3643/डी०ए०आर०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिम्न व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम पंचायती तहसील सदर जिला रामपुर जिला आरसी गाँव संख्या 168/0 009080, 2. नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रत्येक का नाम / जन्म तिथि / आयु / पता / जन्म स्थान / पेशा / अन्य जानकारी 3.19/0 009080, 3.22/0 079080, 3.47/0 02 3080 ग्रँव 08 जिला रकना 0.4380 हे० पर अवास/प्राथमिक/प्राथमिक के रूप में दर्ज अतिरिक्त है के स्थान पर रामपुर विकास प्रधिकरण द्वारा जननी पाल सिंह अवर अतिरिक्त रामपुर विकास प्रधिकरण रामपुर / अवास विकास कोलैनी 327/ का नाम दर्ज अतिरिक्त किया जाता है तथा ग्राम पंचायती तहसील सदर जिला रामपुर जिला आरसी गाँव संख्या 354 डि०/0 4380 हे० पर रामपुर विकास प्रधिकरण द्वारा अतिरिक्त नंबर जारी है। एन०/06.09.2025/अ-चप-धर-04/अ-चप-1351 प्रिविदिता रस्तादर: DILEEP KUMAR SAXENA / 07-09-2025।

(17) यदि के अन्तर्गत विचारणा संख्या का नं० बतवायें

(18) पत्र/पत्र-मुद्रा एवं की स्थिति

(18.1) पत्र एवं की स्थिति (सत्यापन के का नाम/कोड/व्यक्ति का नाम/पता/आवेदन संख्या/आवेदन दिना-पति-संबंधक)

(18.2) पत्र-मुद्रा एवं की स्थिति (सत्यापन के का नाम/कोड/व्यक्ति का नाम/पता/आवेदन संख्या/आवेदन दिना-पति-संबंधक):

(19) अन्य:

यदि कोई भी है:



ध्यान दें: इस सूची की प्रतियाँ (प्रतिलिपि) के अतिरिक्त, प्रमाण/प्रमाणपत्र (सी) हेतु सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें।

Declarations: उक्त सूची में अतिरिक्त है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र पर सीएसडी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।

About content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distric portal/CSC/Technical Computer Centre. Software Powered By: National Informatics Centre, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



भूखंड - खतीनी
राजस्थ परिषद, उत्तर प्रदेश

House

उद्घरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 02:40:23 PM

तहसील : सरग

फसली बर्ष : 1425-1431 (01 जुलाई 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पहरडी

खता संख्या : 00216

टिप्पणी : 1-क/रूटि एवं सऊमणीय भूमिधरो के अधिकार में ही।

खसत/सूची	खतदार का विवरण	खतदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	(6) गाँव का कुल क्षेत्रफल (हे०)	(7) हिस्से में	(8) खतफल में (हे०)	(9) खतदार द्वारा देय भू-राजस्व	
306	1) राजपुर विकास प्रधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अवर अभियन्ता राजपुर विकास प्रधिकरण राजपुर / अरावली विकास कालोनी 32/7 (अवतरक हेतु)	1) राजस्थ न्यायालय (एम विता अफिकारी, तहसील सरग) / T202513590110201 / 06-09-2025 / विनिमय	306 (11691303096000012)	पृथका उक्त खतों की प्रतिलिपि (पुस्तक फार्म) के बन्द पन्ने / फिकवा / भू-नक्शा / गणनापत्रा वही 1 वीं खतवा संख्या पर विवरण करें।	0.1070	1) -	0.1070	0.00
							0.1070	

कुल गाँव : 06 कुल क्षेत्रफल : भूमा दायमलवर एक भूमा सार भूमा (हेक्टर)

कुल भू-दायमल : भूमा दायमलवर भूमा भूमा रूपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमा दायमलवर एक भूमा सार भूमा (हेक्टर)



नामांतरण / परिवर्तन का विवरण

खरिद किया गया

दर्ज किया गया

1) स्थापत्य का नाम / कम्प्यूटरीकरण बाद संख्या
अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक /
नामांतरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(परनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

(11) नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रबंधक का नाम / जाति
कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अथवा पैन
नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि
(अवयवक हेतु)

(12) गाटे का खसरा नम्बर /
पूरीक कोड

(13) क्षेत्रफल(हे०)

(14) नाम/पिता-पति-संबंधक-
प्रबंधक का नाम / जाति
कोड / आधार नं० (अंतिम
चार अंक) अथवा पैन नं०
(6-9 स्थान के अंक) / पता
/ जन्मतिथि (अवयवक हेतु)

(15) गाटे का खसरा नम्बर /
पूरीक कोड

(16) क्षेत्रफल(हे०)

1) स्थापत्य नम्बर/पैन नं०
दिनांक / 2) 3590110201 / 06-09-2025 /
DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-
2025

1.1) चक्रनर्ण/... (1: 0.0000)

306 (1169130306000012)

1.1) 0.1070

1.1) रामपुर विकास
प्रधिकरण द्वारा / जातीय
पाल सिंह अर अश्विनता
रामपुर विकास प्रधिकरण
रामपुर / अवास विकास
कांठीनी 32/7

306 (1169130306000012) 1.1) 0.1070

1) क्षेत्र परिवर्तन: 1433700 अक्षयकुमार शैलान्त जयवित्तिकारी महोदय सहर रामपुर बाद सं० T202513590110201 आदेश दि० 06.09.2025 के क्रम में शैलान्त तहसीलदार महोदय सहर रामपुर के पुरांवान आदेश दि० 06.09.2025 के अनुसार आदेश हुआ कि
दिल्लीकरत नगरपालिका द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3643/डि०/आर०/आर०/2025, दिनांक 06.09.2025 के अनुषंगान में शैलान्त व शैली परिवर्तन के आधार पर प्राप्त पकडी तहसील सहर विवा रामपुर स्थित आराली गाटा संख्या 168/0.0090हे०,
236/0.0330हे०, 297/0.0920हे०, 306/0.1070हे०, 310/0.0890हे०, 319/0.0090हे०, 322/0.0790हे०, 341/0.0230हे० गूरा 08 कि० रकबा 0.4380 हे० पर चक्रनर्ण/रास्ता/गाटे के रूप में दर्ज अभिलेख है के स्थान पर रामपुर विकास प्रधिकरण द्वारा जगदीश
चंद सिंह अर अश्विनता रामपुर विकास प्रधिकरण रामपुर/ अवास विकास कांठीनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख विभा धरवा है तथा प्राप्त पकडी तहसील सहर विवा रामपुर स्थित आराली गाटा संख्या 354 सि०/0.4380 हे० पर रामपुर विकास प्रधिकरण द्वारा
जगदीश चंद सिंह अर अश्विनता रामपुर विकास प्रधिकरण रामपुर/ अवास विकास कांठीनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर गाटा संख्या 354/0.4380 हे० से रकबा 0.0230हे० रक्बा, रकबा 0.0230हे० गूरा, रकबा 0.3850हे० चक्रनर्ण के रूप में दर्ज
अभिलेख विना बदल है: 09.2025/06.09.2025/06.09.2025/06.09.2025/1351 डिजिटल हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 07-09-2025

(17) मूल के सम्बन्ध में डिजिटलीकरण रातस बाद की कम्प्यूटरीकरण संख्या

(18) सचक/सचक-मुद्राएं होने की स्थिति

(18.1) सचक होने की स्थिति (सत्या अथवा डैक का नाम/कोड/वचक का दिनांक/परनाम/आवेदन संख्या/आवेदक(पिता-पति-संबंधक))

(18.2) सचक-मुद्राएं होने की स्थिति (सत्या अथवा डैक का नाम/कोड/वचक-मुद्रा का दिनांक/परनाम/आवेदन संख्या/आवेदक(पिता-पति-संबंधक)) :

(19) अनुसूचक :

पूर्व अनुसूचक का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (पुखंड गाटा) के बाद प्रला/विक्रम /N-नका/जमानंतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर चक्रिक करें।

Disclaimer: उक्त अधिकार मात आरतीकनर्ण है, उक्त विवरण अपडेट है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम की एर की/लोकवाणी केन्द्र से उदरवा की प्रमापित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Alsoe content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distrect portal/CSC/Rehsal Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





भूखंड - खतीनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

3024

उद्घरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 02:40:51 PM

बनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116913

तहसील : सदर
कसती बर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई 2018 से 30 जून 2024)

ग्राम : पहाड़ी
खाला संख्या : 00216

बेटी : 1.क/भूमि की संकल्पनायुक्त भूमिपत्री के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संततक-प्रबंधक का नाम / ज्योति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयक्त हेतु)	(3) म्यादालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाट संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जाला का आधार	(4) बर्ष	भूमि का विवरण	(5) गाटा का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से नं०	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खानेदार द्वारा देय भू-राजस्व
310	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अवर अभियान्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कार्टीनी 32/7	1) राजस्व म्यादालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / T202513590110201 / 06-09- 2025 / विनिमय	310 (1169130310000012)	क्षेत्रफल उक्त खसरे की भूमि (मुहल्ले (गाटा) के वाट अथवा / निम्न भू-राजस्व / जन्म-तारीख बर्ष) हेतु खसरा संख्या पर भिन्नक करा।	0.0890	1) -	1) 0.0890	0.00
					0.0890			0.0890

कुल गाटा : एक कुल क्षेत्रफल : भूमि दशमालय भूमि आठ नौ भूमि (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : भूमि दशमालय भूमि भूमि रूपमें

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दशमालय भूमि आठ नौ भूमि (हेक्टेयर)



उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)
07/September/2025 02:34:33 PM

बनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116913

तहसील : सहर
कसती वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पतौड़ी
खाला संख्या : 00211

बैची : 1-क/गुनि जो संक्रमणीय भूमिपत्री के अधिकार में हो।

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/खिला-पति-संरक्षक-प्रदणक का नाम / ब्राति कोड / आधार नं0 (अनिमि वार अका) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अका) / पता / जननिधि (अथवाक हेतु)	(3) म्यादातय का नाम / कम्प्यूटरीजत वार्द	(4) वर्द	भूमि का विवरण	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) खानेदार का अंश	(9) खानेदार द्वारा देय भू-राजस्व
311	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जनदीख पाल सिरे अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आबाव विकास कालेनी 32/7	1) राजस्व म्यादातय (उप खिता अधिकारी, तहसील सहर) / T202513590110202 / 06-09-2025 / विनिम्न	311 (1169130311000012)	कुल उक्त खत की प्रसिति (प्लॉट (गाटा) के बर प्रसति / विवरण भू-राजस्व / म्यादातय वरी) हेतु खसरा संख्या पर लिखिक करी।	0.0480	1) -	1) 0.0480	0.00
कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : भूमि दशागतव भूमि वार आठ भूमि (हेक्टेयर)								
कुल भू-राजस्व : भूमि दशागतव भूमि वार भूमि (हेक्टेयर)								
कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दशागतव भूमि वार आठ भूमि (हेक्टेयर)								



धारित किया गया

(11) आधार का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या
 आधार आदेश संख्या / आदेश का दिनांक /
 पत्राचार का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
 (वर्तमान) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

दर्ज किया गया

(12) नाम/पिता-पति-संबंधक-प्रबंधक का नाम / जन्म
 कोड / आधार नं० (अंतिम वाद अंक) अपना धैन
 नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि
 (अवयवक हेतु)

(13) गाँव का खसरा नम्बर /
 प्लॉट नं०

(14) क्षेत्रफल (हे०)

(15) नाम/पिता-पति-संबंधक-
 प्रबंधक का नाम / जन्म
 कोड / आधार नं० (अंतिम
 वाद अंक) अपना धैन नं०
 (6-9 स्थान के अंक) / पता
 / जन्मतिथि (अवयवक हेतु)

(16) गाँव का खसरा नम्बर /
 प्लॉट नं०

(17) क्षेत्रफल (हे०)

1) राजेश कुमार (उप जिला अधिकारी, तराईतल
 कारा / T202513590110202 / 06-09-2025 /
 डिजिटल / DUEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-
 2025

1-1) गण/./.: 0.00000

311
 11169130311000012)

1-1) 0.0480

1-1) रामपुर विकास
 प्राधिकरण द्वारा / जगदीश
 पाल सिंह अवर अभियन्ता
 रामपुर विकास प्राधिकरण
 रामपुर / जवांस विकास
 कारा-नी 3277

311 (1169130311000012)

1-1) 0.0480

1) श्री परिवर्तन 1433क0 आधारानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय सदर रामपुर वाद नं० T202513590110202 आदेश दि० 06 09 2025 के क्रम में श्रीमान तराईतलवाड महोदय सदर रामपुर के पत्राचार आदेश दि० 06 09 2025 के अनुसार आदेश हुआ कि
 जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या: 364/डी०एल०आर०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर प्राप्त फरजी तराईतल सदर जिला रामपुर सिद आरजी खसरा संख्या: 274/0 1580हे०
 280/0 0230हे०, 290/0 0540, 311/0 0480हे०, 323/0 1260हे०, 334/0 0380हे०, 341/0 0240हे० कुल 07 कितल रकबा 0.47710 हे० जो बकामा/गुद/नरुआ के रूप में दर्ज अंतिम है के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह अवर
 अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ जवांस विकास कारा-नी 3277 का नाम दर्ज अंतिम किया जाता है तथा प्राप्त फरजी तराईतल सदर जिला रामपुर सिद आरजी गाँव संख्या 349 गि/70.4:30हे०, 354 गि/0/0580 हे० कुल रकबा 0.4710 हे० पर रामपुर
 विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ जवांस विकास कारा-नी 3277 का नाम दर्ज अंतिम है के स्थान पर गाँव संख्या 349 गि/70.4:30हे०, 354 गि/0/0580 हे० कुल रकबा 0.47710 हे० में से 349गि०
 रकबा 0 1580हे० बकामा, 349गि० रकबा 0 1260हे० नरुआ एवं 349गि० रकबा 0 1290हे० व 354गि० रकबा 0 0580हे० गल के रूप में दर्ज अंतिम किया जाता है। ए०००००/06.09.2025।Shnhsq।Dc।noShnhsq।1348 डिजिटल हस्ताक्षर: DUEEP KUMAR
 SAXENA / 07-09-2025)

(17) भूमि के संबंध में विद्यमान राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बापक/बंधक-मुकल होने की स्थिति

(18.1) बापक होने की स्थिति (संस्था अपना बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पत्ताशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संबंधक))

(18.2) बापक-मुकल होने की स्थिति (संस्था अपना बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुकल का दिनांक/पत्ताशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संबंधक)):

(19) अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:



गुणवत्ता उक्त खसरे की प्रतिलिपि (पूरा) के वाद प्रसा /विक्रम /पु-नकसा /गामांतरण करी) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।
 Disclaimer: उक्त ऑनलाइन जानकारी केवल सूचना प्रदान करने के लिए है। तराईतल कम्प्यूटर केन्द्र एका ही एल सी।एल सी।एल सी।एल सी।केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणिका प्रति प्राप्त की जा सकती है।
 Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distric portal/CSC/Retinal Computer Centre.
 Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



पूजेब - खतीनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hand

उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 02:41:31 PM

धनपद : राजपुर

ग्राम कोड : 116913

वहलील : सरर

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पहाडी

खाला संख्या : 00216

हेतु : राजपुर के राजस्व नीचे भूमिपति के अधिकार में हो।

खसत/नामा/संख्या	खतदार का विवरण	भूमि का विवरण	खतदार का अंश
322	1) राजपुर विकास प्रधिकरण द्वारा / जगदीश पास सिंह अवर अंश नं राजपुर विकास प्रधिकरण राजपुर / अवरस विकास खतीनी 32/7	1) राजस्व भागालय (रूप खिला अधिकारी, तहसील सरर) / T202513590110201 / 06-09-2025 / विनिम्न	0.0790
		कृपया उक्त अंश के नीचे प्रकीर्ण (पुस्तक (पान) के बाद ग्राम / विभाग / प्लान-नकाशा / जमागत वही) हेतु खतल संख्या पर विवरण को	
		322 (1169130322000012)	0.0790
			1) -
			1) 0.0790
			0.00
			0.0790

कुल गाँव : एक

कुल क्षेत्रफल : पूरा दयाभारत पूरा साल नौ पूरा (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : पूरा दयाभारत पूरा पूरा रूपसे

कुल अंश का क्षेत्रफल : पूरा दयाभारत पूरा साल नौ पूरा (हेक्टेयर)





भूखंड - खतौनी
राजस्व परिपत्र, उत्तर प्रदेश

Hindi

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 02:35:08 PM

घनपद : रामपुर

ग्राम कोड : 116913

तहसील : सदर

कसती बर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पकड़ी

खता संख्या : 00214

धेनी : 1-क/भू-1 जो संकामीय भूमिपरा के अधिकार में हो।

खतौदार का विवरण	खतौदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खतौदार का अंश
<p>323</p> <p>खसरा/ गाटा संख्या (2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं0 (अभिन्न धार अंक) अधवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवतरक हेतु)</p> <p>1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश धाल सिंह अवत अधिनियमा रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अजास विकास कालौनी 32/7</p>	<p>(3) स्थापत्य का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाट संख्या अधवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जॉन का आधार</p> <p>1) राजस्व स्थापत्य (उप विभा अधिकारी, तहसील स्तर) / T202513590110202 / 06-09-2025 / विभिन्न</p>	<p>(4) वर्ध</p> <p>कृपया उक्त संसर् की प्रतिलिपि (दस्तावेज, गारण) के बाद प्रदा / मिथ्या / भ्रम-वशा / गम्यतावरण बर्षी) हेतु खतौदा संख्या पर भिन्नक करो।</p> <p>323 (11691303232000012)</p>	<p>(6) गाटा का कुल क्षेत्रफल(हे०)</p> <p>0.1260</p> <p>(7) हिस्से में</p> <p>1/-</p> <p>(8) क्षेत्रफल में(हे०)</p> <p>1) 0.1260</p> <p>(9) खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व</p> <p>0.00</p>

कुल गाटा : एक कुल क्षेत्रफल : सून्य दशमलव एक दो छह सून्य (द्वन्द्वपर)

कुल भू-राजस्व : सून्य दशमलव सून्य सून्य रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : सून्य दशमलव एक दो छह सून्य (द्वन्द्वपर)



कारण / परिवर्तन का विवरण

कार्य किया गया

दर्ज किया गया

प्राथमिक नाम / कम्प्यूटीकृत बाद संख्या
आदेश संख्या / आदेश का दिनांक /
नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(व्यवस्था) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति
कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा धैन
नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि
(अवयवक हेतु)

(12) गाटे का खासरा नम्बर /
पूर्विक कोड

(13) क्षेत्रफल (हे०)

(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-
प्रबंधक का नाम / जाति
कोड / आधार नं0 (अन्तिम
चार अंक) अथवा धैन नं0
(6-9 स्थान के अंक) / पता
/ जन्मतिथि (अवयवक हेतु)

(15) गाटे का खासरा नम्बर /
पूर्विक कोड

(16) क्षेत्रफल (हे०)

1) राज्य न्यायालय (उप विभा. अधिकारी, तरहील
संख.) / T202513590110202 / 06-09-2025 /
दिनांक / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-
2025

1.1) नरुआ./ (: 0.0000)

323
(1169130323000012)

1.1) 0.1260

1.1) रामपुर विकास
प्राधिकरण द्वारा / जगदीश
पट सिंह अवर अभियन्ता
रामपुर विकास प्राधिकरण
रामपुर / आवास विकास
कालोनी 32/7

323 (1169130323000012)

1.1) 0.1260

1) इन्वी पुरीवर्तन- 1433रु० आदेशानुसार श्रीमान उज्वलसिंहकारी नरींदप सदर रामपुर बाद संख 10 T202513590110202 आदेश दि० 06.09.2025 के क्रम में श्रीमान उज्वलसिंहकारी नरींदप सदर रामपुर के पञ्जाबन आदेश दि० 06.09.2025 के अनुसार आदेश क्रम कि
डिजिटलकरी नरींदप, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3641/डी०एल०आ०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुसार नं विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर प्राप्त पुराणी तरहील सदर विभा रामपुर स्थित आवासी खासरा संख्या 274/0.1580हे०,
280/0.0230हे०, 290/0.0540, 311/0.0480हे०, 323/0.1260हे०, 334/0.0380हे०, 341/0.0240हे० कुल 07 किता रकबा 0.4710 हे० जो दकमान/गुल/नरुआ के रूप में दर्ज अतिरिक्त है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पट सिंह/अवर
अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालोनी 32/7 का नाम दर्ज अतिरिक्त किया जाता है तथा प्राप्त पुराणी तरहील सदर विभा रामपुर स्थित आवासी खासरा संख्या 349 नि०/0.4130हे०, 354 नि०/0.0580 हे० कुल रकबा 0.4710 हे० पर रामपुर
विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पट सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालोनी 32/7 का नाम दर्ज अतिरिक्त है, के स्थान पर गाटा संख्या 349 नि०/0.4130हे०, 354 नि०/0.0580 हे० कुल रकबा 0.4710 हे० में से 349नि०
रकबा 0.1580हे० दकमान, 349नि० रकबा 0.1260हे० नरुआ एवं 349नि० रकबा 0.1290हे० व 354नि० रकबा 0.0580हे० गुल के रूप में दर्ज अतिरिक्त किया जाता है। 80रु०/06.09.2025&nbSp; 80रु०/06.09.2025
SAXENA / 07-09-2025)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थन राजस्व बाद की कम्प्यूटीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार (पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार (पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अग्रमुक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खासरे की प्रसिद्धि (पुब्लिशिंग पोर्टल) के बाद फसल/विक्रय/पुनर्स्था/न्यायालय कमी) हेतु खासरा संख्या पर बिलक नहीं है।

Disclaimar- उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनीय हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तरहील कम्प्यूटर केन्द्र प्रथम सी.एस.सी./लोकपाली केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distric portal/CS/SC/TeHS Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Handi

उद्घरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2023 03:17:33 PM

जनपद : रामपुर

तहसील : भदर

ग्राम कोड : 116913

घसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पलही

खता संख्या : 00216

बेनी : 1-क/पूदि जो संकयणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गण्डा सख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-मरुधक का नाम / जालि कोड / आधार नं० (अनिम वार अके) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अके) / पता / जन्मतिथि (अवयव संकेत)	(3) न्यायालय का नाम / काय्पटरीकृत वार / खद सख्या अथवा आदेश सख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) न्यायालय का नाम / काय्पटरीकृत वार	भूमि का विवरण	(6) गाँव का कुल क्षेत्रफल (हे०)	(7) हिस्से में	(8) खतदार का अंश	(9) खतदार द्वारा देय भू-राजस्व
325	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अधीनस्थ रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अभावस विकास कार्यानी 327	1) राजस न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सरो) / T202513590110196 / 06-09-2025 / विधिभय	326 (1169130326000012)	पूदि का विवरण	0.0070	1) -	1) 0.0070	0.00
0.0070								

कुल गाँव : एक कुल क्षेत्रफल : पूरा दफ्तरात पूरा पूरा (हेक्टर)

कुल भू-राजस्व : पूरा दफ्तरात पूरा पूरा रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : पूरा दफ्तरात पूरा पूरा साब पूरा (हेक्टर)



उत्तरण खतौनी (अप्रमाणित प्रती)

07/September/2025 03:18:21 PM

जनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116913

वहसील : सदर
फसली बर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पहाड़ी
खाला संख्या : 00216

बैली : 1-अ/ग/मि को संकमणीय भूमिधरो के अधिकार में ही।

खसरा/संख्या	(2) नाम/पिता-पति-सौधक-भूदथक का नाम / कारि कोट / अधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा भू नं० (6-9 स्थान के अंक) / पला / अन्यतिथि (अवश्यक हेतु)	खतौदारी प्रारम्भ होने का दिवस	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत बर्ष / आदेश का दिनांक / जगत का अधार	(4) वर्ग	भूमि का विवरण <small>कृपया लक्षा सवरे की प्रतिलिपि (प्लेन गारण) के आद प्रका / भिजन / 4-जका / नामांतरण करी 1 हेतु खतरा संख्या पर लिखक करें।</small>	(5) गाँव का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(6) हिस्से में	(7) खतौदारी का अंश	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतौदारी द्वारा देय भू-राजस्व
328	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अंतर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अधार निकास कारतौनी 32/7		1) राज्य न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सरा) / T2025135901/0196 / 06-09-2025 / विनिमय		328 (1169130328000012)	0.0660	1/-	1/0.0660	0.00	0.0660

कुल गाँव : एक कुल क्षेत्रफल : भूमा दसमालव भूमा छह छह भूमा (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : भूमा दसमालव भूमा भूमा रूपमे

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमा दसमालव भूमा छह छह भूमा (हेक्टेयर)



नामांकन / धारकता का विवरण

(10)

आधार का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या
अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक /
नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(पद-नाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

कारिय किया गया

(11)

नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रदायक का नाम / जाति
कोड / आधार नं० (अज्ञित धार अंक) अथवा दिन
नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि
(अवयवक हेतु)

(12)

गाटे का खसरा नम्बर /
यूनीक कोड

(13)

क्षेत्रवाहीनं०)

दर्ज किया गया

(15)

गाटे का खसरा नम्बर /
यूनीक कोड

(16)

नाम/पिता-पति-संरक्षक-
प्रदायक का नाम / जाति
कोड / आधार नं०
(अज्ञित धार अंक) अथवा
दिन नं० (6-9 स्थान के
अंक) / पता / जन्मतिथि
(अवयवक हेतु)

1) शिवल सम्प्रदाय (उप जिला अधिकारी, उदसील
खरी / T202513590110196 / 06-09-2025 /
रिजिस्ट्रार / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-
2025

1. 1) वकनर्ग/.. (: 0.0000)

328
(1169130328000012)

1. 1) 0.06660

1. 1) रामपुर विकास
प्राधिकरण द्वारा / जातीय
पता सिंह अवर अधिनस्ता
रामपुर विकास प्राधिकरण
रामपुर / आवास विकास
कालोनी 3277

328 (1169130328000012) 1. 1) 0.06660

1) श्रेणी परिवर्तन 1433प० आदेशानुसार श्रीमान जयविक्रमिकारी महोदय खर रामपुर गांव सो 72025:13590110196 आदेश दि० 06.09.2025 के काम में श्रीमान उदसील महोदय खर रामपुर के पञ्चायत आदेश दि० 06.09.2025 के अनुसार आदेश
हस्ता कि विनाशिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3640/डीएलआर/आर/सी/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनियम व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम फाटोली करवील खर जिला रामपुर स्थित गाटा संख्या
2527/0 0222080, 2566/0 003080, 269/0.013080, 281/0.071080, 326/0.007280, 328/0.06660, 329/0.07240, 340/0 00550, 348/0.04800, 351/0 078080, 355/0.063080, 358/0 008080 कुल 12 किता रकबा 0.4660 हे० वकनर्ग के
रूप में दर्ज अतिरेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पता सिंह/अवर अधिनस्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालोनी 3277 का नाम दर्ज अतिरेख किया जाता है तथा ग्राम फाटोली के गाटा संख्या
248सि/0 077280, 345सि/0 128080, 345/0 250880 रकबा 0.4660 हे० पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पता सिंह/अवर अधिनस्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालोनी 3277 का नाम दर्ज अतिरेख है, के स्थान पर
वकनर्ग के रूप में दर्ज अतिरेख किया जाता है। (DOK/46/06 09 2025/dns/p/पञ्चायत/1352 डिजिटल हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 07-09-2025)

(17) भूमि के सम्बन्ध में शिवालयीन सारख गाट की कम्प्यूटीकृत संख्या

(18) बाधक/वधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बाधक होने की स्थिति (संस्था अथवा वैक का नाम/कोड/वधक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बाधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा वैक का नाम/कोड/वधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(19) अयुक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उका खसरे की प्रसिद्धि (गुलड गाटा) के बाद प्रकाशित/विकस/पु-नशा/नमात्रण दर्दी) हेतु खसरा संख्या पर ध्यान करें।

Disclaimer: उका अकेडें नम अवालोकार्य है, उका विवरण अद्यतन है, वरवील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी एच सी/लोकवाणी केन्द्र से उदरण की प्रमाणित प्रती प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distinct portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 03:19:04 PM

जनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116913

तहसील : धरद
फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पटाडी
खाला संख्या : 00216

शेची : 1-क/ग्रामि जो संक्रमणीय भूमिपत के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/विवा-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जमीत कोड / आपार नं० (अंतिम बार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वार्ड संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जमीत का आपार	(4) वार्ड	भूमि का विवरण कृपया उक्त खसरे की प्रतिलिपि (पृष्ठ 5 (पृष्ठ 6) के बाद पत्र / विना न्यून-नजा/आधारित बही) हेतु संभव संख्या पर विचार करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से नं०	खतौदार का अंश (8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व
329	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / अग्रणीया पाल सिंह अवर अंतिम-वा रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	1) राजस न्यायालय (उप विवा अधिकारी, लहौलील सरि) / T202513590110196 / 06-09- 2025 / विनिमय		329 (1169130329000012)	0.0740	1)-	1) 0.0740	0.00
							0.0740	

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : भूरा दशमलव भूमि साल बार भूमि (हेक्टयर)

कुल भू-राजस्व : भूमि दशमलव भूमि भूमि रूपमें

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूरा दशमलव भूमि साल बार भूमि (हेक्टयर)





हिन्दी

उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 02:35:35 PM

जनपद : रामपुर

तहसील : रादर

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई 2018 से 30 फ़रवरी 2024)

ग्राम : फाड़ी
खता संख्या : 00211

प्राम कोड : 116913

बेनी : 1-क/दुनि जो संक्रमणीय भूमिपरी के अधिकार में है।

खता/गाटा संख्या	(2) नाम/विवा-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अथवा दैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयवक हेतु)	(3) स्थापत्य का नाम / कम्प्यूटरीज्ड चार्ट संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) बर्ष	भूमि का विवरण कृपया उस खतरे की प्रतिलिपि (फ्लॉड चार्ट) के साथ प्रसंग / विवरण / पत्ता / जमानत का नंबर / हेतु खतल संख्या सह प्रेषित करें।	(6) गाटा का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) खतादार का अंश	(9) खतादार द्वारा देय भू-राजस्व
334	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जनदीप घास सिंह अवर अनिलता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आबत विकास कालेनी 32/7	1) राजस्व स्थापत्य (उप जिला अधिकारी, तहसील रादर) / T202513590110202 / 06-09-2025 / विनिमय	334 (1169130334000012)	0.0390	1) -	1) 0.0380	0.00	0.0380

कुल गाटा : एक

कुल क्षेत्रफल : भूदा दशमलव भूदा तीन आठ भूदा (दिकेय)

कुल भू-राजस्व : भूदा दशमलव भूदा भूदा रूपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूदा दशमलव भूदा तीन आठ भूदा (दिकेय)



उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 03:19:37 PM

ब्लॉक : रामपुर

ग्राम कोड : 116913

तहसील : सदर

कसती रफ : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पलड़ी

खाला संख्या : 00257

बेबी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिपत्रों के अधिकार में है।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/सिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जालि कोड / आधार नं0 (अंतिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत याद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जाब का आधार	(4) वर्ष	(5) फुल्ल उका खसरे की पहचानि (प्लॉट नं0) के बाद फस / निचाना / भू-चन्ना / जमातारण कर्ता) हेतु दस्ता संख्या पर सिक्का कर्ता	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) खालेदार का अंश	(9) खालेदार द्वारा देय भू-राजस्व
340	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अवर अनियता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / T202513590110196 / 06-09-2025 / विनिमय	1433फ0	340 (1169133400000012)	0.0650	1) -	1) 0.0650	0.00
								0.0650

कुल गाटे : ०६

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य छह पाव दून (हिस्टेरी)

कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य छह पाव दून (हिस्टेरी)



नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण


नामान्तरण का विवरण	खर्च का विवरण	द्वंद्व का विवरण
(10) नमान्तरण का नाम / कम्प्यूटीकृत याद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नमान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (एडनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/विला-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / पति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अथवा डैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयव संकेत)	(12) गाँव का खसरा नम्बर / पत्नी का कोड
1) शिवरत्न नमान्तरण (उप बिल अधिकारी, तहसील सार) / T202513590110196 / 06-09-2025 / निदिनांक / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-2025	1. 1) ---/---/--- (1: 0.0000)	340 (1159133400000012)
(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारणीय नान्तरण याद की कम्प्यूटीकृत संख्या	(13) क्षेत्रफल (हे०)	(14) नाम/विला-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / पति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अथवा डैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयव संकेत)
(18) वपक/वपक-मुक्त होने की स्थिति	1. 1) 0.0650	1. 1) रामपुर विकास प्रधिकरण द्वारा / जगदीश चाल सिंह अथवा अंतिमना रामपुर विकास प्रधिकरण रामपुर / अजयस विकास कारीना 327
(18.1) वपक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वपक का दिनांक/परराशि/आवेदन संख्या/आवेदक(विला-पति-संरक्षक))	(15) गाँव का खसरा नम्बर / पत्नी का कोड	(16) क्षेत्रफल (हे०)
(18.2) वपक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वपक-मुक्त का दिनांक/परराशि/आवेदन संख्या/आवेदक(विला-पति-संरक्षक)):	340 (1159133400000012)	1. 1) 0.0650
(19) अभ्युक्ति:		
पूर्व आदेशों का विवरण:		

कृपया उक्त सूत्रों की प्रतिलिपि (सूचक पोर्टल) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

Disclaimer: उक्त सूत्रों में अद्यतन किया गया है। उक्त विवरण अद्यतन है। तहसील कम्प्यूटर केंद्र द्वारा सी.एस.सी/लीनक्स/केन्द्र से उद्योग की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।

Above content is for information. The information provided online is updated and a physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CS/Lehsal Computer Centre

Software powered By: National Informatics Centre, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



उद्घरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 02:36:05 PM

जनपद : रामपुर
 प्राप्त कोड : 116913

तहसील : सदर
 कसती पर्व : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पहाड़ी
 खता संख्या : 00236

श्रेणी : 1-ख/गूनि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / वला / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / कील का आधार (अवयस्क हेतु)	(4) बर्द	(5) कृषि या अन्य कार्य की प्रसिद्धि (प्लॉट नं0) के लिए प्रस्ताव / शिवाय प्लॉट नं0/आगत वाद की शिवाय अन्य संस्था पर किए गए कार्य	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से सं	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतदार द्वारा देय भू-राजस्व
341नि	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आगत विकास कालीनी 32/7	1) राज्य न्यायालय (उप विवा अधिकारी लहरील स्त) / T202513590110202 / 05-09-2025 / शिनिमय	1433व00	341नि (1169133410000012)	0.0240	1) -	1) 0.0240	0.00
					0.0240			0.0240

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : भूमि दशमलव भूमि दो चार भूमि (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : भूमि दशमलव भूमि भूमि रूप में

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दशमलव भूमि दो चार भूमि (हेक्टेयर)



एक/परिवर्तन का विवरण

खासियत किया गया

दुर्घ किया गया

का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या
आदेश संख्या / आदेश का दिनांक /
विनिर्देश का आदेश / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(एवमाप) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

(11) नाम/दिना-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जगति
कोड / आदेश नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा दिन
नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि
(अवयस्क हेतु)

(12) गाँव का खासता नम्बर /
पूरीक कोड

(13) क्षेत्रफल(हे०)

(14) नाम/दिना-पति-संरक्षक-
प्रबंधक का नाम / जगति
कोड / आदेश नं० (अन्तिम
चार अंक) अथवा दिन नं०
(6-9 स्थान के अंक) / पता
/ जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)

(15) गाँव का खासता नम्बर /
पूरीक कोड

(16) क्षेत्रफल(हे०)

1) राजस्थान राज्य जिला अधिकारी, वारसील
कर / T202513590110202 / 06-09-2025 /
दिनांक / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-
2025

1.1) ---/---/--- (: 0.0000)

341मि
(1169133410000012)

1.1) 0.0240

1.1) रामपुर विकास
प्रधिकरण द्वारा / जगदीश
पाल सिंह अवर अधिवक्ता
रामपुर विकास प्रधिकरण
रामपुर / आवास विकास
कार्टीनी 32/7

341मि
(1169133410000012)

1.1) 0.0240

(17) भूमि के सम्बन्ध में विद्यमान राजस्व वाद की कम्प्यूटीकृत संख्या

(18) वधक/वधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) वधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वधक का दिनांक/पत्रादेश/आवेदन संख्या/खानेदार(दिना-पति-संरक्षक))

(18.2) वधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वधक-मुक्त का दिनांक/पत्रादेश/आवेदन संख्या/खानेदार(दिना-पति-संरक्षक)):

(19) अप्रयुक्त:

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खतरे की प्रतिलिपि (मुख्यतः गाँव) के वाद प्रकट/विषय/पुनः नया/नवनिर्माण वाली) हेतु खासता संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन माप अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, वारसील कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा सी एस सी/वीकेवाई केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CS/Keohal Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





पूरुब - खतौनी
राजस्य परिषद्, उत्तर प्रदेश

Hindi

उद्घरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)
07/September/2025 02:41:55 PM

जनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116913

राहसील : सरत
फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पहाड़ी
खता संख्या : 00211

बैनी : 1-क/एडि जो संकमनीय भूमिपदी के अधिकार में ही।

खसत/खाटा संख्या	खतौदार का विवरण	खतौदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खतौदार का अंश			
347	(2) नाम/विता-पति-सहस्रक-प्रबंधक का नाम / पति संख्या / आकार में (अंतिम वार अंका अथवा पैर नं० (6-9 स्थान के अंका) / पता / पञ्चतिथि (अवयस्क हेतु) 1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अथवा अग्निपन्ना रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आकार 1) राज्य न्यायालय (एम विता अधिकारी, तहसील सरत) / T2025:35901:10201 / 05-05-2025 / विनिम्न	(4) कुलमा उका खतौ की तस्वीर (जोड़ फसल के वार वार / फसल भू-नक्शा/नामांकित वही 1 ही संशोधन संख्या पर किया का।)	(6) गाँव का कुल क्षेत्रफल(हे०) 0.0230	(7) हिस्से में 1-	(8) खतौदार का अंश 1) 0.0230	(9) खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व 0.00
					0.0230		

कुल गाँव : एक कुल क्षेत्रफल : भूमि दस्तावेज भूमि दो तीन भूमि (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : भूमि दस्तावेज भूमि भूमि रूपसे

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दस्तावेज भूमि दो तीन भूमि (हेक्टेयर)



पाननाम/ लीडर का विवरण

जारीन किया गया

द्वारा किया गया

(11) पाननाम/ लीडर का विवरण	(12) नाम/लिना-पति-संरक्षक-पदपत्र का नाम / पति कोड / आधार नं० (अनिमि वार अंक) अपना देन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(13) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(14) क्षेत्रफल(हे०)	(15) नाम/लिना-पति-संरक्षक-पदपत्र का नाम / पति कोड / आधार नं० (अनिमि वार अंक) अपना देन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(16) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(17) क्षेत्रफल(हे०)
----------------------------	---	-------------------------------------	---------------------	---	-------------------------------------	---------------------

1) रामपुर विकास ग्राम विहार अतिरिक्ती, सरसीर संतु / 7202513590110201 / 06-09-2025 / 182मा / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-2025	1.1) मा.1.1 : 0.00000	347 (1169130347000012)	1.1) 0.0230	1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अभियाना रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कारोनी 3277	347 (1169130347000012)	1.1) 0.0230
--	-----------------------	------------------------	-------------	--	------------------------	-------------

1) 6.00000 1433000 अरुणपुरा विमान उपविभागाधीनी महीरदा संतु रामपुर वार्ड सं० 7202513590110201 आरुण दि० 06.09.2025 के क्रमा मे क्रमानु तहसीलदार महीरदा संतु रामपुर के पुराजना आदेशा दि० 06.09.2025 के अनुसार आदेशा क्रमा क्रि.सि.सं. 236/0.0230000 रामपुर वार्ड वती कान्हालव आदेश संख्या 3643/7000000000/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुसार मे विनिमय व शर्ती परिवर्तन के आधार पर ग्राम पंचायती तहसील संतु जिला रामपुर जिला आरुणी गाटा संख्या 168/0.0090000, वार्ड सं० 23/1/0.09200, 306/0.1070000, 310/0.0080000, 319/0.0090000, 322/0.0790000, 347/0.0230000 कुल 08 जिला रकबा 0.4380 हे० पर एकमा/पानना/गाटा के रूप में दद अतिरिख है, के सान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियाना रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कारोनी 3277 का नाम दद अतिरिख किया जाता है तथा ग्राम पंचायती तहसील संतु जिला रामपुर जिला आरुणी गाटा संख्या 354 सि०/0.4380 हे० पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिख किया जाता है। 601000/06.09.2025केअनुसार-पानना-1351 (लिनिरत हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 07-09-2025)

(17) मुक्ति के सम्बन्ध में विचारणीय रायस वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) एपक/एपक-मुका हॉने की स्थिति

(18.1) एपक हॉने की स्थिति (सत्या अपना डैक का नाम/कोड/एपक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खतवेदायिता-पति-संरक्षक)

(18.2) एपक-मुका हॉने की स्थिति (सत्या अपना डैक का नाम/कोड/एपक-मुका का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खतवेदायिता-पति-संरक्षक):

(19) अनुसूचि:

एफ आर्टो का विवरण:

इसका उक्त धरस की प्रसिदी (पुखंड गाटा) के वाद प्रसा/सिक्का/पु-संख्या/समांतरण वही) हेतु उसारा संख्या पर लिख करे।

Declarant/ उक्त औरतें मात अवलोकनाय है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्युटर केन्द्र एका सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उदरणा की प्रमाथित प्रोि प्राय की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Centre, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow



उत्तरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 03:20:08 PM

वनपट्ट : रामपुर
ग्राम कोड : 116913

तहसील : सदर

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 फर्र, 2024)

पन्ना : पहाड़ी

खता संख्या : 00216

शेनी : 1-क/शुनि को संक्रमणीय भूमिपत्रों के अधिकार में टी।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-पर्वथक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	खतेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	(4) वर्ष	भूमि का विवरण	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे०)	(7) रिसे नं०	खतेदार का अंश	(8) क्षेत्रफल में (हे०)	(9) खतेदार द्वारा दिये भू-राजस्व
348	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश मूल रहित अवर अभिपन्ना रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / 720251359010196 / 06-09- 2025 / विनिमय	348 (1169130348000012)	भूमिगत उक्त खतों की प्रसिद्धि दिलेस (गाटा) के बाद इस / विक्रय / भू-अंशका न्यायालय बही (कौ सुवारा दस्ता पर हस्ताक्षर करी	0.0480	1) -	1) 0.0480	0.00	0.0480

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : भूमि दशमलव भूमि चार आठ भूमि (हेक्टर)

कुल भू-राजस्व : भूमि दशमलव भूमि चार भूमि

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दशमलव भूमि चार आठ भूमि (हेक्टर)



नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण


(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा अदालत संख्या / अदालत का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (एटानाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/विला-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / पति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंकों) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / गाटे का पत्तिका नम्बर	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/विला-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / पति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंकों) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवसरक हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / गाटे का पत्तिका नम्बर	(16) क्षेत्रफल(हे०)
--	---	---	---------------------	---	---	---------------------

1) रावरा न्यायालय (उच्च जिला अधिकारी, तदधीन सारा / T202513590110196 / 06-09-2025 / विनिमय / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-2025	1) पकामा/./.: (: 00000)	348 (1169130348000012)	1.1) 0.0480	1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जनप्रतिभा गाते सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कार्यालय 32/7	348 (1169130348000012)	1.1) 0.0480
--	--------------------------	------------------------	-------------	--	------------------------	-------------

1) क्षेत्री परिवर्तन: 1433क0 अदालत/न्यायालय क्षेत्रीय उपनिर्देशकारी महोदय सदा रामपुर वाद सं० T202513590110196 अदालत दि० 06/09/2025 के क्रम में क्षेत्रीय महोदय सदा रामपुर के पृथक् अदालत दि० 06/09/2025 के अनुसार अदालत को कि जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कर्नाल अदालत संख्या 3640/डीएल/आर/08/2025, दिनांक 04/09/2025 के अनुदान में विनिमय व क्षेत्री परिवर्तन के आधार पर ग्राम पहाड़ी लहरील सदा जिला रामपुर जिला गाते संख्या 252/0 02/2025, 256/0 0030/20, 269/0 01-30/20, 281/0 07/10/20, 326/0 00/20/20, 328/0 00/20/20, 329/0 07/40/20, 340/0 05/50/20, 348/0 04/40/20, 355/0 02/20/20, 358/0 00/60/20 कुल 12 जिला संख्या 0 4660 हे० वकामों के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पता सिं/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर, आवास विकास कार्यालय 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पहाड़ी के गाते संख्या 248/0 07/22/20, 329/0 10/12/20/20, 345/0 2/60/20/20 का 0 4660 हे० पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पता सिं/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर, आवास विकास कार्यालय 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर वकामों के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है। 18040क/06/09/2025क.नं.प.क.0-10/क.नं.प.1352 डिजिटल हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 07-09-2025)

- (17) भूमि के स्वतन्त्र न विधायक सदास वाद की कम्प्यूटीकृत संख्या
- (18) वपक/वपक-मुका होने की स्थिति
- (18.1) वपक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वपक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/विला-पति-संरक्षक)
- (18.2) वपक-मुका होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वपक-मुका का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार/विला-पति-संरक्षक):
- (19) अमूर्तता:
- पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उका धरने की प्रसिद्धि न्यूज (पत्रिका) के बाद प्रत्येक/विक्रय/प्राप्त/संस्था/समाचारण की) हेतु खसरा संख्या पर ध्यान दें।
 Disclaimer: उका अधिकृत न्याय अदालत/न्याय है, उका विवरण अदालत है, तदधीन कम्प्यूटर केन्द्र, एका ही एका ही/लेखनीय/केन्द्र से उद्वरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
 Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distort portal/CSC/Regional Computer Centre
 Software Powered By: National Informatics Centre, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



उद्घरण खातीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 03:20:35 PM

वनपरद : रामपुर

ग्राम कोड : 116913

तहसील : खंडर

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : धाराडी

खाला संख्या : 00216

नैती : 1-क/पूजि जो संकमणीय भूमिपती के अधिकार में ही।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-पत्रपक का नाम / जालि कोड / आणार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा दिन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पला / जमनिधि (अथवाक हेतु)	(3) म्यापलाय का नाम / कम्प्यूटीकृत चार संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का अथवा	(4) वर्द	भूमि का विवरण रूपका उल्लेख करे की दृष्टिसे (प्लॉट नं०) के बाद पला / खिसा, गे, नखल / नामांतरण की) ही खाला संख्या पर लिखक करे।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) खाला संख्या में(हे०)	(9) खाला संख्या द्वारा देय भू-राजस्व
351	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अवसल विकास कार्रवाई 3277	1) राजस्व म्यापलाय (उप खिता अधिकारी, तहसील खंडर / T202513590110196 / 06-09-2025 / विभिन्न		351 (1169130351000012)	0.0280	1)-	1) 0.0280	0.00
								0.0280

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : मूला दशमालव मूला दो आठ भूम (हेक्टर)

कुल भू-राजस्व : मूला दशमालव मूला मूला रूपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : मूला दशमालव मूला दो आठ भूम (हेक्टर)



नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

प्राचीन विषय पत्र

द्वितीय विषय पत्र

द्वितीय विषय पत्र

(10) नमान्तरण का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नमान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (व्यवस्था) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक

(11) नाम/विना-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / पत्ति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंकों) अथवा नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जनसंख्या (अवयवक हेतु)

(12) गाँव का खसरा नम्बर / गाँव का पत्तिका कोड

(13) क्षेत्रफल(हे०)

(14) नाम/विना-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / पत्ति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंकों) अथवा नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जनसंख्या (अवयवक हेतु)

(15) नाम/विना-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / पत्ति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंकों) अथवा नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जनसंख्या (अवयवक हेतु)

(16) क्षेत्रफल(हे०)

1) सर्वसम्पन्न/सर्व विना अधिकारी, तदस्थित घर/ T:02513590110196 / 06-09-2025 / पते/ DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-2025

1.1) एकभूमा/./ (: 0.0000)

351 (11691303510000012)

1.1) 0.0280

1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा/ जनसंख्या पत्र शिष्ट अवर अधिवक्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालोनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर/ आवास विकास कालोनी 32/7

351 (11691303510000012)

1.1) 0.0280

1) सर्वसम्पन्न/सर्व विना अधिकारी, तदस्थित घर/ T:02513590110196 / 06-09-2025 / पते/ DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 07-09-2025

(17) पूर्व के सम्बन्ध में विवादाधीन राबल वार की कम्प्यूटीकृत संख्या

351

(18.1) वपक होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/वपक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/साक्षर विना-पति-संरक्षक)

(18.2) वपक-मुक्त होने की स्थिति (संख्या अथवा बैंक का नाम/कोड/वपक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/साक्षर विना-पति-संरक्षक):

(19) अपडेट्स:

पूर्व अटॉर्नी का विवरण:

गुणगुण उक्त धरारे की प्रसिद्धि (यूटिल गारंटी) के बाद प्रस्त/विद्यमान/पुनरा/न्यायालय बही/ हेतु खसरा संख्या पर निष्कर्ष करने के लिए।

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन अपडेट्स-नॉट हैं, उक्त विवरण अपडेट है, तदस्थित कम्प्यूटर केन्द्र एवम सीएससी/लैब/कॉम्प्यूटर केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति मांगनी जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.





भूखंड - खतौनी
राजसव परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 03:22:50 PM

जनपद : रामपुर

ग्राम कोड : 116913

तहसील : सदर

फसली बर्द : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)

ग्राम : पहाड़ी

खता संख्या : 00259

नोट : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-सहक-प्रबंधक का नाम / जमीन कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) म्यादातप का नाम / कम्प्यूटीकृत बार्ड संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) बर्द	भूमि का विवरण (क) कृषय उत्तर खतौनी की परिधि (प्लॉट नंबर) के बार्ड पता / (ख) भू-संख्या / मातापिता की हस्त लिखत संख्या पर लिखत करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे०)	(7) हिस्से में	(8) खतौदार का अंश	(9) खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व
3588नि	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जमीनी पत्र सिंह अवर अभियंता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कार्रवाई 327	1) राजसव म्यादातप (उप खिता अधिकारी, तहसील सदर) / T202513590110196 / 06-09-2025 / विनिगम	1433फ०	3588नि (1169133580000012)	0.0060	1) -	1) 0.0060	0.00
							0.0060	

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : मूल्य दशमलव मूल्य मूल्य छह मूल्य (दिकेय)

कुल भू-राजस्व : मूल्य दशमलव मूल्य मूल्य रूपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : मूल्य दशमलव मूल्य मूल्य छह मूल्य (दिकेय)



उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 04:13:53 PM

तहसील : सदर

फसली बर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

ग्राम : ताशका

खता संख्या : 00056

श्रेणी : 1-क/रूनि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / बालि कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / व्यवसाय (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जात का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (दुतीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	खतौदार का अंश	
							(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व
462/1	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / बगदीश पाल सिंह अवर अनिन्दता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / T202513590102306 / 19-02- 2025 / दुरस्ती (सशोधन से)	1412फ0	462/1 (2184490462000012)	0.2150	1)-	1) 0.2150	0.00
		2) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / 1202513590110194 / 06-09- 2025 / विनिमय						



कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : भूमि दशमलव दो एक पांच भूमि (हिस्सेपर)

कुल भू-राजस्व : भूमि दशमलव भूमि भूमि रूपसे

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दशमलव दो एक पांच भूमि (हिस्सेपर)



भूखेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

भूखेख

भूखेख

उद्घरण खतौनी (अग्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:24:38 AM

जनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116955

तहसील : सदर
फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023)

ग्राम : भमरोआ
खाता संख्या : 00461

धेनी : 1-क/गुमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खतौदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खतौदार का अंश				
(1)	(2)	(3)	(4)				
नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जगति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत बाट संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीत का आधार	वर्ष	वर्ष				
(5)	(6)	(7)	(8)				
कृपया उक्त खतरे की प्रसिद्धि (पसुड (गाटा) के बाट प्रस्ता / विकल्प / भू-नक्शा / जमावतण वही) हेतु खसरा संख्या पर बिलिक करें।	गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	हिस्से में	क्षेत्रफल में(हे०)				
(9)	(10)	(11)	(12)				
खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व	0.0130	1-	0.0130				
471	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील खतौनी / खतौनी / T202513590110199 / 05-09-2025 / विनिमय	1433फ०	471 (1169554710000012)	0.0130	1-	1) 0.0130	0.00

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक तीन शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रूपये



कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक तीन शून्य (हेक्टेयर)

परिवर्तन का विवरण

ग्राम

खरिज किया गया

दर्ज किया गया

(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तरसील स्तर) / T202513590110199 / 06-09-2025 / विनिमय / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 06-09-2025	471 (1169554710000012)	1.1) 0.0130	1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	471 (1169554710000012)	1.1) 0.0130

(17) भूमि के सम्बन्ध में विद्यमान राजस्व वाद की कम्प्यूटीकृत संख्या
 (18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम, कोड/बंधक का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))
 (18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(19) अभ्युक्ति :

पुर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (गुड्डेड गार्ड) के बाद प्रस्ताव/विक्रय/गुनवस्था/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर निलोक करे।

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तरसील कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil
कृते

Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रतिलिपि





भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

भूलेख

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रती)

07/September/2025 12:25:01 AM

चनपद : रामपुर

तहसील : सदर

ग्राम : भमरोआ

ग्राम कोड : 116955

फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

खाता संख्या : 00462

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में ही।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा धैन नं0 (6- 9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीत का आधार	(4) वर्ष	(5) कृपया उक्त खसरो की प्रसिद्धि (दृखंड (गाटा) के वाद प्रस्ता / विक्रय / भू-नक्शा / नामांतरण वही) हेतु खसरो संख्या पर क्लिक करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व
477	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / T202513590110199 / 06- 09-2025 / विनिमय	1433फ0	477 (1169554770000012)	0.0400	1) -	1) 0.0400	0.00

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य चार शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य चार शून्य शून्य (हेक्टेयर)



document is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/TeHS/

Computer Centre

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रतिलिपि





भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

भूलेख

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:27:00 AM

जनपद : रामपुर

तहसील : सदर

ग्राम : भनरीआ

ग्राम कोड : 116955

फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

खाला संख्या : 00407

धेनी : 1-क/भूनि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में है।

खतौनी/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत श्राद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीव का आधार	(4) वर्ष	(5) भूमि का विवरण कृपया उका खसरे की परिस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद प्रस्त / विक्रय / भू-भूकणा / नामांतरण बही) हेतु खयाल संख्या पर चिह्नक करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) खतौदार का अंश क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतौदार द्वारा देय भू-राजस्व
488	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जनदीश पाल सिंह अवर, श्रीमन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवस विकास कारौनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सरा) / 1202513590110192 / 06-09-2025 / विनिमय		488 (1169550488000012)	0.4550	1)	1) 0.4550	0.00

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव चार पांच पांच शून्य (हिक्टेयर) कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव चार पांच पांच शून्य (हिक्टेयर)



राज / परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

पूर्व

दर्ज किया गया

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
राजस्व का नाम / कम्प्यूटीकृत बाब संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (एतनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / ग्रामीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / ग्रामीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)

1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / 1202513590110192 / 06-09-2025 / दिनिमय / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 06-09-2025	1.1) गूल/---/--- (: 0.0000)	488 (1169550488000012)	1.1) 0.4550	1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालोनी 32/7	488 (1169550488000012)	1.1) 0.4550
--	-----------------------------	------------------------	-------------	---	------------------------	-------------


1) श्रेणी परिवर्तन- 1433क0 आदेशानुसार श्रीमान उमजिताकिकारी महोदय सदर रामपुर वाद सं० T202513590110192 आदेश दि० 06.09.2025 के क्रम में श्रीमान तहसीलदार महोदय सदर रामपुर के नृसं० आदेश दि० 06.09.2025 के अनुसार आदेश हुआ कि जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3638/डी०एल०आ०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम भमरोआ के गाटा संख्या 488/0.4550 हे०, गाटा संख्या 502/0.0120 हे० कुल रकबा 0.4670 हे० जो गूल के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालोनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पहाड़ी के गाटा संख्या 244/0.2180, गाटा संख्या 245/0.1906 हे० कुल रकबा 0.4086 हे० पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालोनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर गूल के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है। (ROR0क0/05.09.2025 प० न० प०: 1354 डिजिटल हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 06-09-2025)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटीकृत संख्या

(18) वधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) वधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) वधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):



का :
का विवरण :

परीख

कृपया उका ससरे की प्रसिति (पूखंड (गाए) के बाद प्रसू /विकय /मु-नकषा /नामांतरण वरी) हेतु खससा संख्या पर क्लिक करें।


Disclaimer: उका ऑकडे मात्र अवलोकनार्थ है. उका विवरण अद्यतन है. तहसीत कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्वरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distinct portal/CSC/Tensil

Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रसिति





भूखेख - खतीनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

पृष्ठ

उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:25:33 AM

तहसील : सदर

फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

ग्राम : भमरीआ
खता संख्या : 00415

वनचद : रामपुर
ग्राम कोड : 116955

बेनी : 1-क/भूनि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खता/नाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम बार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जाति का आधार	(4) वर्ष	(5) कृषक उक्त खतरे की प्रसिति (भूखेख (गाट) के वाद प्रसू / विजय/भू-नक्शा/न्यायतरेण बही) हेतु खतरी संख्या पर लिंक करे।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) खतेदार का अंश क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खतेदार द्वारा देय भू-राजस्व
489	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जमाटीय पाल सिंह अवर अभियन्ता / रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अजयस विकास कालोनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / 1202513590110199 / 06-09-2025 / विनिमय			0.1270	1) -	1) 0.1270	0.00
								0.1270

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक दो सात शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव एक दो सात शून्य (हेक्टेयर)



परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

श्रेण

दर्ज किया गया

नाम का नाम / कम्प्यूटीकृत
संख्या अथवा आदेश संख्या /
आदेश का दिनांक / नामान्तरण का
आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम
(रदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर
दिनांक

(11)
नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का
नाम / जाति कोड / आधार नं०
(अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-
9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि
(अवयस्क हेतु)

(12)
गाटे का खसरा नम्बर /
पूनीक कोड

(13)
क्षेत्रफल(हे०)

(14)
नाम/पिता-पति-
संरक्षक-प्रबंधक का
नाम / जाति कोड /
आधार नं० (अन्तिम
चार अंक) अथवा
पैन नं० (6-9 स्थान
के अंक) / पता /
जन्मतिथि
(अवयस्क हेतु)

(15)
गाटे का खसरा नम्बर /
पूनीक कोड

(16)
क्षेत्रफल(हे०)

1) राज्य म्यादातय (उप जिला
अधिकारी, तहसील स्तर) /
2025:13590110199 / 06-09-2025
/दिनांक / DILEEP KUMAR
SAXENA 0 / 06-09-2025

1.1) रास्ता/---/--- (: 0.0000)

489
(1169550489000012)

1.1) 0.1270

1.1) रामपुर विकास
प्राधिकरण द्वारा /
जादीश पाल सिंह
अवर अभियन्ता
रामपुर विकास
प्राधिकरण रामपुर /
आवास विकास
कालीनी 32/7

489
(1169550489000012)

1.1) 0.1270

1) डेजी परिवर्तन 1433क0 आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय सदर रामपुर वाद सं० 12025 13590110199 आदेश दि० 06/09/2025 के क्रम में श्रीमान तहसीलदार महोदय सदर रामपुर के पत्रांक आदेश दि० 06/09/2025 के अनुसार आदेश हुआ कि जिलाधिकारी महोदय, रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3642/डी०ए०आ०सी०/2025, दिनांक 04/09/2025 के अनुपालन में विनिमय व डेजी परिवर्तन के आधार पर ग्राम भमरोआ के गाटा संख्या 471/0/0130हे०, गाटा संख्या 477/0/0400हे०, गाटा संख्या 489/0/1270, गाटा संख्या 493/0/0480, गाटा संख्या 505/0/0100हे० कुल रकबा 0.2380 हे० पर रास्ता/वकनार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जादीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालीनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पहाड़ी के गाटा संख्या 248मि/0/0538हे०, गाटा संख्या 249मि/0/1544हे० कुल रकबा 0.2082 हे० पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जादीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कालीनी 32/7 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रास्ता/वकनार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है।
हस्तांक : 06/09/2025&nbdf: 70न0&nbdf: 1353 (डिजिटल हस्ताक्षर: D :EEP KUMAR SAXENA / 06-09-2025)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विवादाधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटीकृत संख्या

(18) वपक/वपक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) वपक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वपक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/जातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) वपक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/वपक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/जातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):



भूखे

का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रसिति (भूखंड (गाटा) के बाद प्रस्त/विक्रय/पू-नकशा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रति



उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:26:02 AM

ग्राम : भमरोआ

तहसील : सदर

खाता संख्या : 00413

फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

वनपद : रामपुर

श्रेणी : 1-क/गुनि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अंतिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) भूमि का विवरण कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (भूखंड गाटा) के वाद प्रस्त / विक्रय/पू-नक्शा/जानंतरण कही) हेतु खसरा संख्या पर लिखिक करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
493	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कालौनी 3277	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / 1202513590110199 / 06-09-2025 / विनिमय		493 (1169550493000012)	0.0480	1) -	1) 0.0480	0.00
					0.0480		0.0480	

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य चार आठ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य रूपये कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य चार आठ शून्य (हेक्टेयर)



परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

श्रृंखला

दर्ज किया गया

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हे०)

1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / 202513590110199 / 06-09-2025 / विनिमय / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 06-09-2025	1.1) चक्रोड/---/--- (: 0.0000)	493 (1169550493000012)	1.1) 0.0480	1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कारोबी 3277	493 (1169550493000012)	1.1) 0.0480
---	--------------------------------	------------------------	-------------	---	------------------------	-------------

1) श्रेणी परिवर्तन: 1433फ0 आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय सदर रामपुर वाद सं० 17202513590110199 अर्थात् दि० 06.09.2025 के क्रम में श्रीमान तहसीलदार महोदय सदर रामपुर के पृथक आदेश दि० 06.09.2025 के अनुसार आदेश हुआ कि जिलाधिकारी महोदय रामपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 3642/डी०ए०/आ०सी०/2025, दिनांक 04.09.2025 के अनुपालन में विनिमय व श्रेणी परिवर्तन के आधार पर ग्राम भमरोआ के गाटा संख्या 471/0.0130हे०, गाटा संख्या 477/0.0400हे०, गाटा संख्या 489/0.1270, गाटा संख्या 493/0.0480, गाटा संख्या 505/0.0100हे० कुल रकबा 0.2380 हे० पर रास्ता/वकामार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कारोबी 3277 का नाम दर्ज अभिलेख किया जाता है तथा ग्राम पहाड़ी के गाटा संख्या 248मि/0.0538हे०, गाटा संख्या 249मि/0.1544हे० कुल रकबा 0.2082हे० पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगदीश पाल सिंह/अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर/ आवास विकास कारोबी 3277 का नाम दर्ज अभिलेख है, के स्थान पर रास्ता/वकामार्ग के रूप में दर्ज अभिलेख किया जाता है।
 ह०र०क०/06.09.2025&nb&sp;प०न०&nl;1353 डिजिटल हस्ताक्षर: DILEEP KUMAR SAXENA / 06-09-2025)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या
 (18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))
 (18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :



का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (भूखंड (गाट)) के बाद प्रस्त/विक्रय/पू-नक्शा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर वित्तक करें।

Disclaimer उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distinct portal/CSC/Tehsil

Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रतिलिपि





भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

भूलेख

Hindi

उद्धरण खतौनी (अग्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:27:23 AM

चनपद : रामपुर

ग्राम कोड : 116955

तहसील : सदर

फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

ग्राम : भगरोआ

खाना संख्या : 00459

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खानेदार का विवरण	खानेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खानेदार का अंश
(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का गाटा संख्या नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जीत का आधार	(4) वर्ष	(5) कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (रिजिट्र (गाटा) के वाद प्रस्ता / विक्रय भू-नक्शा / जमानतपरव बही) हेतु खसरा संख्या पर हस्तिक करी
502 1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जनदीया पाल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अलास विकास कालौनी 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / T202513590110192 / 06-09-2025 / विनिमय	1433फ0	502 (1169555020000012)
			0.0120
			1) -
			1) 0.0120
			0.00
			0.0120

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक दो शून्य (हिकटेपर)

कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

कुल अंश क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक दो शून्य (हिकटेपर)



	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / T202513590110192 / 06-09-2025 / विनिमय / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 06-09-2025	1.1) ---/---/--- (: 0.0000)	502 (1169555020000012)	1.1) 0.0120	1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश माल सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कार्लोनी 32/7	502 (1169555020000012)	1.1) 0.0120

अप्रमाणित प्रति

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या
(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :



कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (प्लूंड (गाट)) के वाद प्रस्ता/विक्रय/भू-नक्शा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर विचार करें।

Disclaimer: उक्त ऑफिस मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी./लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tensil
Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रामाणिक प्रतिलिपि





भूलेख - खतीनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

उद्धरण खतीनी (अप्रमाणित प्रति)

07/September/2025 12:26:29 AM

जनपद : रामपुर
ग्राम कोड : 116955

तहसील : सदर
फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

ग्राम : भमरौआ
खाता संख्या : 00453

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या / अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) कृपाया उका खसरे की प्रसिद्धि (रजिस्टर्ड (पाट) के बाद प्रसा / विक्रय / मूल-वक्रा) / नामांतरण बही 1 हेतु खसरा संख्या पर बिलक करें।	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
505	1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जनदीश पात सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवारा विकास कार्यालय 32/7	1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील सदर) / T202513590110199 / 06-09-2025 / विनिमय	1433फ०	505 (1169555050000012)	0.0100	1) -	1) 0.0100	0.00
							0.0100	

कुल गाटे : एक कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश-का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव शून्य एक शून्य शून्य (हेक्टेयर)



/ परिवर्तन का विवरण

खारिज किया गया

भूखंड

दर्ज किया गया

	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / पृथीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / पृथीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
--	---	--	------------------------	---	--	------------------------

1) राजस्व न्यायालय (उप जिला अधिकारी, तहसील स्तर) / T202513590110199 / 06-09-2025 / बिनियम / DILEEP KUMAR SAXENA 0 / 06-09-2025

1.1) ---/---/--- (: 0.0000)

505

(1169555050000012)

1.1) 0.0100

1.1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जगदीश पात सिंह अवर अभियन्ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / अलास विकास कार्लानी 32/7

505

(1169555050000012)

1.1) 0.0100

- (17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाट की कम्प्यूटरीकृत संख्या
- (18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(19) अभ्युक्ति:

पूर्व आदेशों का विवरण:

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (प्लूब्लिशिंग) के बाद प्रसू / विक्रय / मू-नक्शा / नामांतरण बही (हेतु खसरा संख्या पर क्रिस्तक करें।



Disclaimer: उक्त ऑफर मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

ent is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/SSC/Tensil
Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

आप्रमाणित प्रति





भूखेब - खेतीनी
राजस्य परिषद, उत्तर प्रदेश

Hindi

उद्घरण खतीनी (अप्रभाविता प्रति)

07/September/2025 03:22:14 PM

बनवद : रामपुर

ग्राम कोड : 116913

वर्तमान : सदर

फरती वर्ष : 1426-1431 का कुलार्द, 2018 से 30 फर, 2024

ग्राम : फरकी

खाल संख्या : 00258

बेबी : 1-अ/ए/बी के संकनगीत भूखेब के अतिकार में हो।

खालेवर का विवरण

खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/बिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जगति कोड / अणुपर नं० (अंतिम घर अंक) अथवा पिन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / कानतिथि (अवयस्क हेतु)	खालेवती प्रारम्भ होने का विवरण	(4) वर्ष	भूमि का विवरण	(6) गाटा का कुल क्षेत्रफल (हे०)	(7) दिसते में	खालेदार का अंश	(8) क्षेत्रफल में (हे०)	(9) खालेदार द्वारा देय भू-राजस्य
355नि	1) रामपुर बिकास प्राधिकरण द्वारा / खादीय माल बित्त अन्तर अधिन्याय रामपुर बिकास प्राधिकरण रामपुर / अवास बिकास कालेनी 327	1) रावल् न्यायालय (उप बिसा अधिकारी, तरसाल सार / 1202513590110196 / 06-09- 2025 / बिनियम	1433का	1) भूखेब उला ससे की प्रतिदि नित्त (गाटा) के भार बला / बिसा / भू-खेबा / जमाबंदी बही 1 हे० खेबा एकर पर बिसा करी	0.0530	1-	1)	1)	0.00
							0.0630		

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : भूमि दरमालय भूमि जेर तीन भूमि (हे०) में

कुल भू-राजस्य : भूमि दरमालय भूमि भूमि रूपसे

कुल अंश का क्षेत्रफल : भूमि दरमालय भूमि जेर तीन भूमि (हे०) में



नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण

आरंभ किया गया

दर्ज किया गया

(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / न्यायालय का आधार / डिजिटल रस्ताधर नाम (एनएमए) / डिजिटल रस्ताधर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं० (अनिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है)	(12) गाँव का खसता नम्बर / प्लॉक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जति कोड / आधार नं० (अनिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवश्यक है)	(15) गाँव का खसता नम्बर / प्लॉक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे०)
1) राजेश न्यायालय (उप जिला अधिकारी, लखीमपुर / 1202513590110196 / 06-09-2025 / विनिमय / DILEEP KUMAR SAXENA O / 07-09-2025	1. 1) ---/---/--- (: 0.0000)	355फि (1169133550000012)	1. 1) 0.0630	1. 1) रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा / जलदीब पाल सिंह अदर अशिय-ता रामपुर विकास प्राधिकरण रामपुर / आवास विकास कारिनी 3277	355फि (1169133550000012)	1. 1) 0.0630

(17) भूमि के सन्दर्भ में विचारणीय राजस्व वाद की कम्प्यूटीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/पनरथि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/पनरथि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अप्रयुक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रसिद्धि (मूड 3 पाठ) के बाद प्रस्ताविका/पू-नम्बरा/नामान्तरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्रिया करें।

Disclaimer: उक्त ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उक्त विवरण अद्यतन है। लखीमपुर केन्द्र द्वारा सही/संशोधित/अद्यतन केन्द्र से उद्योग की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CS/Regional Computer Centre

Software Powered By: National Informatics Centre, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

